



UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

VOLUME-XIII

OCT-2023 TO DEC-2023

ISSUE-IV



e-NEWSLETTER

QUARTERLY NEWSLETTER OF UTTARAKHAND SLSA

COMPILED BY

MR. PRADEEP KUMAR MANI, MEMBER SECRETARY,
UTTARAKHAND SLSA

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552,

e-mail : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

website : www.slsa.uk.gov.in

Portal For Free Legal Aid: <https://uklegalaidservices.uk.gov.in>

Facebook Link: <https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa>

Facebook Page Link: <https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873>

Youtube Link: <https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ>

TOLL FREE NO. 18001804000, 15100



UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, NAINITA



Hon'ble Ms. Justice Ritu Bahri
Hon'ble Patron-in-Chief, Uttarakhand SLSA, Nainital



Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Tiwari
Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital



Hon'ble Mr. Justice Alok Kumar Verma
Hon'ble Chairman, HCLSC, Nainital



Mr. Pradeep Kumar Mani,
Member Secretary, UKSLSA, Nainital



Mr. Sayed Gufran,
Officer on Special Duty, UKSLSA, Nainital

E-NEWSLETTER FOR OCTOBER -2023 TO DECEMBER-2023

MEGA/MULTI-PURPOSE LEGAL SERVICES & AWARENESS CAMPS

ON 08.10.2023 AT GIC, LOHAGHAT, CHAMPAWAT:

A Multi-Purpose Legal Services & Awareness Programme was conducted by the DLSA Champawat on 08th October, 2023 at Govt. Inter College, Lohaghat, Champawat. The said multi-purpose camp was graced by the benign presence of the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA, Nainital. The said Camp was attended by the District Judge/Chairperson, DLSA, Champawat, Officer on Special Duty, Uttarakhand SLSA, Secretary, DLSA, Champawat, District Administration, DM & SP Champawat, Judicial Officers, Officer of the Different Govt. Departments, Advocates of the District, Panel Lawyers, PLVs and students of college etc. total approx. 500 students, common mass/local people have attended the said multi-purpose camp.

37 Stalls were set-up by the various departments in the said camp and made aware the common mass about welfare schemes and plans through pamphlets and brochures. Attended people were also informed about free legal aid and assistance services by the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA and District Judge/Chairperson, DLSA Champawat.

During the Preprogramme, 565 attended persons were get benefited by providing them Pension Schemes, Wheelchair, Crutches, Hearing Aid Machine, health check-up, medicines, Walkers, Glasses, Schemes Benefit Cheques, Disability Certificates, how to increase agriculture, fish, tea etc. production.





ON 15.10.2023 AT GIC TALWARI, THARALI, CHAMOLI:

In the benign presence of Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA, a Multi-Purpose Legal Services & Awareness Programme was organized by the DLSA Chamoli on 15th October, 2023 at Govt. Inter College, Talwari, Tehsil Tharali, Chamoli. The said Camp was attended by the District Judge/Chairperson and Secretary, DLSA, Chamoli, ADJ/Chairman, TLSC Karnprayag, CJM Chamoli, Civil Judge/Chairman, Pokhari, CDO Chamoli, President Bar Association, CMO & SSP Chamoli, Judicial Officers and Advocates of the District, Panel Lawyers, PLVs and students of schools/colleges etc. total approx. 1500 students, common masses/local people have attended the said multi-purpose camp and get benefited as per their requirements.

The attended people were informed about Social Welfare Schemes, Labour, Cyber Cell, Forest Act, Child Rights, Disaster Management, Revenue, Agricultural, Army Welfare, Forest, Police, Panchayatiraj, National Rural Mission, District Hospital etc. by setting up concerned department stalls in the said camp.

During the Preprogramme **436** persons were provided Schemes Benefit Cheques, Wheelchair & Crutches, Sticks for Old Persons, Disability Certificate, Medicine, Pension, Family Register Copy, Health Check-up, Blankets, Hearing Aid, Glasses, made available by the Hans Cultural Foundation. 27 applications were also submitted by the people mentioning their issues/problems.







ALMORA

On 30.11.2023 DLSA Almora organized a Multi-Purpose Legal Services and Awareness Camps at GIC, Bhanoli. In the camp people at large were made aware about NALSA (Legal Services Scheme for Disaster Victims) 2010, Legal Services provided by the Legal Services Institutions, Drug Abuse, Disaster Victims & Management, Sexual Exploitation, Drug Abuse, Biological & Non-Biological Garbage Disposal, Cyber-Crime, POCSO Act, Child Marriage/Labour, Environment Act etc. The said camp was attended approx. 1200 people. **Blood Donation Camp** was also organized during the camp. **Medical Check-up** was also done to the needed persons and medicine were provided to them as per their requirements.





BAGESHWAR

DLSA Bageshwar organized a Multi-purpose Legal Services & Awareness Camp on 29.10.2023 at Gram Sabha Karmi Panchayat Bhawan, Bageshwar.





आवश्यक सूचना

कथकोट तहसील की समस्त सम्मानित जनता को सूचित किया गया है कि दिनांक 29-10-2023 (शनिवार) को साठ जलराजपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बेनीताल की निर्देशानुसार और राजीव कुमार शुक्ले, साठ जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बगेश्वर की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बगेश्वर द्वारा राम सभा कक्षी चौपाल भवन बगेश्वर में प्रा. 10.00 बजे से एक बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें जल क्षेत्र की जनता की जन समस्याओं का भीके पर ही निवारण किया जाये का प्रयास किया जायेगा। जल शिविर में जलसद बगेश्वर के सहायक विभाग जैसे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग, विधिवत विभाग, शिक्षा विभाग, युक्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, जिला युक्ति विभाग, स्वास्थ्य विकास अधिकरण, जिला योजनायन राज विभाग, जल विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जल विभाग, पर्यटन विभाग, सैन्य कल्याण विभाग, सलब विभाग, प्रधानमंत्री प्रधान सहायक योजना विभाग, जल सहायक आदि विभागों के विधायीय स्तर लगाया जाना प्रस्तावित है तथा जल विभागों के विभाग अध्यक्षों द्वारा अपने विभागों से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दिया जाये तथा ऐसे विभाग से सम्बन्धित आयोजनायन की जन समस्याओं का भीके पर ही निवारण किया जाना प्रस्तावित है।

जल बहुउद्देशीय शिविर में स्वास्थ्य विभाग बगेश्वर द्वारा शिविर स्थल पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा तथा विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता/विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करेगे। शिविर में जिला समाज कल्याण विभाग/जिला विद्युत युक्ति संचालक, बगेश्वर की सहयोग से दिव्यांगजन हेतु सहायक उपकरण भी वितरित किये जायेंगे।

राम सभा कक्षी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प लाइन नं. 05963-221844 या 8273420829 नम्बर पर उत्पन्न विचारा दिनांक 26.10.2023 तक उत्पन्न करने का कार्य करें।

आयोजनायन के लिए कार्यक्रम स्थल पर ही भोजन की व्यवस्था रहेगी।

अन्य क्षेत्रीय जनता से निवेदन है कि जल शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर शिविर का लाभ लें।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बगेश्वर। जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बगेश्वर।

HELPLINE 05963-221844, टोलफ्री नम्बर- 1800 180 4000
नालसा हेल्पलाइन नम्बर- 15100

DLSA, Bageshwar in collaboration of Social Welfare Department organized a multi-purpose camp in Govt. Primary School Supi on 15.12.2023, in which 94 People were given legal advice.



CHAMOLI

On 27.11.2023 DLSA Chamoli organized a Multi-Purpose Legal Awareness & Services Camp at GIC, Gopeshwar, Chamoli. The attended people were made aware and get benefitted about State/Central Govt. Welfare Schemes, Cyber Crime, Online Fraud, Cyber Cell etc.






CHAMPAWAT

On 27.11.2023 a Multipurpose/Mega Legal Awareness Camp was organized by the DLSA Champawat at village Khirdwari, Poornagiri in collaboration with several Govt. Departments such as Revenue, Health, Education, Electoral, Social Welfare, Police, PWD, Forest, Agriculture etc. as per New Module Legal Services Camp designed by NALSA. Village Khirdwari is at a distance of 103 KM from District Headquarter and 30 KM from Tanakpur, Poornagiri. River Bank of Sharda starts after 800-meter distance rocky path. The said multi-purpose legal services camp was attended by the District Judge/Chairperson & Secretary, DLSA Champawat, CJM, CJ(SD), CJ(JD) and SDM Champawat also attended the said camp. Population of Khirdwari belongs to tribe known as **Van Rawat and Van Raji** having 40 families and approx. 150 people having no access through road from anywerye. Villagers are not aware about Court, Judge, Court Case, DM, SP, CO, Patwari, DLSA or PLV. All villagers have no Adhar Card and Ayushman Card. Attended people were provided various Govt. Welfare Schemes, and were informed about legal aid services.





DEHRADUN

DLSA Dehradun organized a Multi-Purpose Legal Awareness & Services Camp on 27.10.2023 at Town-hall, Nagar Palika Parishad, Mussoorie, Dehradun. Public at large were informed about Indian Constitution, JJ Act, POCSO Act, Domestic Violence, Nyaya Bandhu, E-Court Service App., Social Welfare Schemes, Women & Child Development Scheme Plastic Waste Management, ill effects of Single use of

Plastic, LSMS (NALSA) Portal, Pension/Ration/Adhar/Disability Cards etc. The attended persons were get benefited as per their requirements.





RUDRAPRAYAG

At GIC, Siddhsod, Jakholi, Rudraprayag a Multi-Purpose Legal Awareness Camp was organized by the DLSA Rudraprayag on 30.11.2023. In the camp the attended people were sensitized about NALSA (Legal Services Scheme for Disaster Victims) 2010 and other NALSA Schemes, State/Central Govt. Welfare Schemes, Women/Child/Senior Citizens Rights, POCSO Act etc. **Medical Check-up** was also done to the needed persons.





UDHAM SINGH NAGAR

DLSA U.S. Nagar organized a Multi-Purpose Legal Awareness Camp on 30.11.2023 at Block Development Conference Hall Sisauna, Sitarganj & Khatima. The said camp was attended by approx. 1250 people. In the camp the attended people were provided Wheel Chair, Crutches etc. Medical Check-up was also done to the needed persons.



NATIONAL LOK ADALAT ORGANIZED ON 09.12.2023:

During the period October-2023 to December-2023, National Lok Adalat was organized on 09.12.2023 in the Hon'ble High Court and in all District Legal Services Authorities including Outlying Courts throughout the State of Uttarakhand. In the said National Lok Adalat total 10878 cases were referred and out of them total **8836** cases were settled amicably and a sum of Rs. 52,19,70,490/- were finalized as settlement amount.

During the said National Lok Adalat, total 19421 Pre-Litigation cases were taken-up and out of them **13853** cases were settled amicably and Rs. 18,47,52,659/- were realized as settlement amount.

The National Lok Adalat was also organized in the Quasi-Judicial Courts such as Consumer Courts and Debt Recovery Tribunals on 09.12.2023. Total 66 cases were referred in such Quashi-Judicial Courts and out of them **31** were settled and Rs. 40,58,10,000/- were realized as settlement amount.



ALMORA

National Lok Adalat organized on 09.12.2023 at District Court Almora



BAGESHWAR

Pre-Meeting w.r.t. upcoming National Lok Adalat 09.12.2023 with Judicial Officers, Advocates and Insurance company officers on 04.11.2023 in District Court Auditorium Bageshwar.



DEHRADUN

National Lok Adalat organized at District Court Dehradun on 09.12.2023.



CHAMOLI

Pre-Meeting w.r.t. upcoming National Lok Adalat 09.12.2023 with Judicial Officers, Advocates, Bank Officials on 30.10.2023 in District Court Chamoli.



PITHORAGARH

National Lok Adalat organized at District Court Pithoragarh on 09.12.2023.



SPECIAL CAMPAIGN/DRIVE

PREVENTION OF SALES OF EXPIRY ITEMS:

As per directions of the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital under prevention of sales of expiry items/packets/packed foods, drinks, monthly meeting is being convened by the Secretaries of District Legal Services Authorities (DLSAs) across the State of Uttarakhand with Food Safety Officer and Drug Inspector of the concerned district. Raid/Inspection are also being conducted to the malls, shops, markets, medical stores, general stores etc.


For effective implementation of such type of issues a committee has been constituted by each DLSA, comprising of:

1. Secretary, DLSA
2. District Food Safety Officer
3. District Drug Inspector
4. One Officer from District Administration
5. One Officer from Health Department

The aforesaid committee has been directed to conduct all needful exercise as per law, if any such matter found in the district.

During the said period the District Legal Services Authorities convened 23 Meetings with Food Safety Officer and Drug Inspector and Anti-Drug Team Members, 11 surprise inspections/visits to shops, stores, medical stores, malls by the concerned officers, 342 samples collected from the shops, malls and stores and were sent to laboratory.

BAGESHWAR



PAURI GARHWAL



DEHRADUN



एक्सप्रेस समाज
www.expressraj.com

देहरादून उत्तराखण्ड देहा-विदेश समाचार लोक-सर्व-सर्व पर्यटन स्वास्थ्य प्रशासन मनोरंजन पत्र सुदूर

त्यौहार के बाद भी देहरादून FDA का खाद्य सामग्रीयों में मिलावटखोरों पर कार्यवाही जारी..तेल,मसाले अनाज,घी दुग्ध उत्पादों के लिए FSL भेजे गए..हलाल प्रमाणयुक्त खाद्य पदार्थों में विशेष शिकजा:FDA..

© पत्र समाज की शक्ति - November 22, 2023



JAIL ACTIVITIES:

As per directions of the Hon'ble the Executive Chairman, UKSLSA and in order to strengthen Jail Legal Aid Clinics and Prisoners Focused Legal Services, all the District Legal Services Authorities are being organized "**Jail Samiksha Diwas**" inside District/Sub-Jails and at Legal Aid Clinics/Judicial Lock-up. The Secretaries of DLSAs along with Jail Vesting Panel Lawyers/Chief Legal Aid Defense Counsel/PLVs conducted visits/camps/interaction session with jail inmates during the programme and resolved their issues as per the requirements. During the period total **118** Legal Awareness Camps, **57** visits/inspections were conducted and total **783** Jail Inmates/Under Trial Prisoners were get benefited by providing them free Legal Aid Services by the Legal Aid Defense Counsel and Panel Lawyers enrolled with District Legal Services Authorities.

ALMORA



BAGESHWAR



CHAMOLI



CHAMPAWAT



DEHRADUN



NAINITAL



PITHORAGARH



TEHRI GARHWAL






U.S. NAGAR



UDHAM SINGH NAGAR



BIODEGRADABLE & NON-BIODEGRADABLE AND PLASTIC WASTE MANAGEMENT:

In compliance of the Order dated 07.07.2022 and Order dated 24.11.2022 passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand in WP (PIL) No. 93/2022 (Jitendra Yadav Vs. Union of India & Others) and as per the directions issued by the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, with reference to the aforesaid order, different legal awareness camps have been organized on different dates and places by the District Legal Services Authorities across the State of Uttarakhand.

PLVs visiting different rural and urban areas of their concerned district and uploaded Google Map Photos of the heaped/dumped garbage and sent complaint of the locations at E-mail ID: solidwaste-complaint@uk.gov.in, and also sent to concerned authorities.

Further, to make aware the common mass about *Uttarakhand Plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation and Use of Disposal) Act. 2013; Plastic Waste Management Rules, 2016 with amendment Rules 2018; Environment Protection Act, Uttarakhand Panchayat Solid Waste Management Policy, 2017 and ban on single use of plastic etc.*, **Legal Awareness Camps/Rallies and door-to-door Campaign** were organized and people at large were made aware. **17 Meetings** was also convened by the Secretaries of the DLSAs with Executive Officer, Nagar Palika to discuss the waste management in the district, for fixing dustbins at the collection centers and for removal/disposal of the collected garbage.

ALMORA



BAGESHWAR



CHAMOLI



PITHORAGARH



UTTARKASHI



OBSERVATION OF "LEGAL SERVICES DAY" ON 09.11.2023:

'Legal Services Day' was observed by District Legal Services Authorities on 09.11.2023 by organizing Legal Awareness Programmes and Camps. In the programme the people at large were informed that the day is marked as adoption of Legal Services Authorities Act, 1987 which was officially enacted on the same date on 1995. The establishment of National Legal Services Day serves to raise awareness about the availability of free legal aid for all citizens, regardless of their background or identity. The Act was enacted with the primary objective of extending legal support to marginalized sections of the society.

During the programme Appreciation Certificate were also given to the Best PLVs and Panel Lawyers work best under implementation of Legal Services & Awareness Activities.

ALMORA



BAGESHWAR



CHAMOLI



CHAMPAWAT



NAINITAL



U.S. NAGAR



Note cam lite
Address : Danpur,Uttarakhand,India
Latitude : 28.9862°
Longitude : 79.35245333333334°
Altitude : 212.0 meter
Date : 11/09/2023 02:50 pm
Accuracy : 1.6 meter
Time zone : GMT+05:30
Note : Captured by Note cam

OBSERVATION OF "WORLD MENTAL HEALTHY DAY" ON 10.10.2023:

On the occasion of **World Mental Health Day**, District Legal Services Authorities have organized legal awareness camps to aware the common mass about the mental health issues to mobilize efforts in support of mental health. It was also discussed that what more needs to be done to make mental health care a reality for people. The attended people were emphasized to learn more about their basic right to mental health as well as how to protect the rights of others.

ALMORA



BAGESHWAR



DEHRADUN



PITHORAGARH



RUDRAPRAYAG



OBSERVATION OF "CONSTITUTION DAY" ON 26.11.2023:

On the occasion of **Constitution Day** on 26.11.2023 DLSAs have organized Legal Awareness Camps. During the programme firstly Preamble of the Constitution was read. The attended people were informed that in commemoration of adoption of Constitution of India, the constitution is being celebrated. The attended people were also informed about, Importance of Constitution, Fundamental Riths & Duties, NALSA & UKSLSA Schemes, Child & Women Rights, PoSH Act etc.

ALMORA



CHAMOLI



BAGESHWAR



TEHRI GARHWAL



UDHAM SINGH NAGAR



OBSERVATION OF "WORLD AIDS DAY" ON 01.12.2023:

World AIDS Day, was observed throughout the State of Uttarakhand by the District Legal Services Authorities and organized legal awareness camps to aware the common mass about ill effects of AIDS and its precautions. During the programmes it was also informed to the attendees that HIV is a major public health issue, having claimed millions lives so far with ongoing transmissions in all countries globally. Further informed that there is no cure for HIV infection. However, with access to effective HIV prevention, diagnosis, treatment and care, including for opportunistic infections, HIV infection has become a manageable chronic health condition.

ALMORA



BAGESHWAR



CHAMPAWAT



NAINITAL

RUDRAPRAYAG



UDHAM SINGH NNAGAR





UTTARKASHI



OBSERVATION OF "HUMAN RIGHTS DAY" ON 10.12.2023:

After adoption of Human Declaration Human Rights have become more recognized and more guaranteed across the world. The 'Human Rights Day' was observed by District Legal Services Authorities on 10.12.2023 by organizing Legal Awareness Programmes and Camps. In the awareness programmes the gathering were informed that we need to stand up for our own rights and of others. We can take action in our own daily lives, to uphold the rights that protect us all and thereby promote the kinship of all human beings. Further informed that all human beings are borne free and equal in dignity and rights.

CHAMOLI



NAINITAL



UDHAM SINGH NAGAR



**“REPORT OF LEGAL LITERACY AND AWARENESS PROGRAMMES AND
CAMPS ORGANIZED THROUGH MOBILE VAN”**

IN THE STATE OF UTTARAKHAND

FROM 11TH OCTOBER, 2023 TO 19TH OCTOBER, 2023

&

FROM 21ST NOVEMBER, 2023 TO 29TH NOVEMBER, 2023

It is kindly submitted that in compliance of the direction of Hon’ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital, mass legal literacy and awareness programmes and camps were organized in six districts of the State of Uttarakhand through Mobile Van of the Uttarakhand State Legal Services Authority from 11th October, 2023 to 19th October, 2023 and from 21st November, 2023 to 29th November, 2023.

For this purpose, an approved schedule of the Mobile Van Awareness Drive was circulated by the Uttarakhand State Legal Services Authority to the following districts:-

S. N.	District	Date	Activities
1.	Nainital	11 th , 12 th & 13 th October, 2023	Legal Literacy and Awareness Programmes/Camps shall be organized through Mobile Van in rural as well as in urban areas of the districts and also in Schools.
2.	Almora	14 th , 15 th & 16 th October, 2023	
3.	Bageshwar	17 th , 18 th & 19 th October, 2023	
4.	U.S. Nagar	21 st , 22 nd & 23 rd November, 2023	
5.	Champawat	24 th , 25 th & 26 th November, 2023	
6.	Pithoragarh	27 th , 28 th & 29 th November, 2023	

In order to ensure the effective implementation of the aforesaid Awareness Drive through Mobile Van, following directions were issued to the aforesaid Districts:-

- 1.** Concerning DLSAs are directed to display/broadcast the legal literacy and awareness based documentary films and other audio-video informative materials to the general public during the mobile van visit.
- 2.** Concerning DLSAs are directed to distribute the valuable legal informative booklets and other legal awareness literature only to the needy persons.
- 3.** Necessary applications, forms, etc. for seeking legal aid, advice, and other beneficial schemes of the Central/State Govt. shall be filled up/prepared by the PLVs on the spot and thereafter the same shall be executed by the office of DLSA with the concerning departments.
- 4.** Concerning DLSAs are directed to make aware the general masses about the functions and goal of the Legal Services Institutions and all the welfare schemes and policies being run by the National Legal Services Authority and Uttarakhand SLSA.
- 5.** Concerning DLSAs are directed to ensure the publicity of the Permanent Lok Adalats in coordination with the concerning Permanent Lok Adalats in addition to the other programmes during the said mobile van visits.
- 6.** Concerning DLSAs are directed to avail the services of Law Students for this purpose, wherever possible.
- 7.** Concerning DLSAs are directed to ensure wider and adequate publicity of the said campaign.
- 8.** Concerning DLSAs are directed to coordinate with the District Administration, Police Administration, School Administration, concerned Gram Panchayats and Gram Pradhans, etc. for extending their cooperation in this regard.

In compliance of the aforesaid directions, concerning District Legal Services Authorities conducted mass legal literacy and awareness programmes and camps through Mobile Van in rural as well as in urban areas of their districts and also in schools.

On the basis of the statistical information furnished by the aforementioned District Legal Services Authorities relating to the said Mobile Van Drive, a consolidated report has been prepared and the same is hereunder:-

Name of the District	No. of Legal Literacy and Awareness Programmes/ Camps organized in Urban Areas.	No. of persons attended these programmes /camps.	No. of Legal Literacy and Awareness Programmes /Camps organized in Rural Areas.	No. of persons attended these programmes/camps.	No. of Legal Literacy and Awareness Programmes/ Camps organized in Schools.	No. of Students attended these programmes /camps.
Nainital	05	548	19	553	10	779
Almora	07	478	16	1098	04	955
Bageshwar	06	129	10	207	04	1015
U.S. Nagar	01	50	19	820	12	2525
Champawat	06	370	06	550	03	180
Pithoragarh	05	More than one lakh	07	More than one lakh	01	Around 500
TOTAL	30	101575 (Approx.)	77	103228 (Approx.)	34	5954 (Approx.)

It is kindly submitted that as per the District-wise reports mentioned in the above table, it is found that during the aforesaid Mobile Van Awareness Drive, **total 141 legal awareness programmes/camps organized in urban areas, rural areas and also in schools** wherein **around 210757 persons and students attended these legal awareness programmes/camps.**

Apart from the above, during the aforesaid Mobile Van Awareness Drive, various other legal aid related activities were also organized by the District Legal Services Authorities in their respective districts.

In this regard, a consolidated report has been prepared, on the basis of the statistical information furnished by the aforementioned District Legal Services Authorities, which is hereunder:-

Name of the District	Whether any applications, forms, etc. for seeking legal aid, advice and other beneficial schemes of the Central/State Govt. has been filled up/prepared by the PLVs on the spot. If Yes, kindly furnish the following details.			Total No. of persons benefited by this Drive.
	No. of such Application, Forms, etc.	Nature	Mention the details of action taken thereon.	

	has been filled up/ Prepared.			
Nainital	163	Free legal aid, Permanent Lok Adalat and Pamphlets.	Advised given on the spot.	1880
Almora	-	-	-	2531
Bageshwar	02	Electricity and Aadhar Card related matters.	Forwarded advised to go the concerned department.	1351
U.S. Nagar	-	-	-	3395
Champawat	169 people were given information about NALSA Schemes and working and services being provided by DLSA. They were also advised about the various welfare schemes of the Central and State Govt. and were helped in filling forms of such schemes, etc.			1100
Pithoragarh	50	Hospital & Government Schemes	Helped in providing the medicines, medical facility and other Govt. schemes.	More than one lakh
TOTAL	384	-	-	110257

As per the above District-wise reports, it is found that **total 384 applications, forms, etc. for seeking legal aid, advice and other beneficial schemes of the Central and State Govt. has been filled up/prepared by the PLVs on the spot. Further, it is kindly submitted that total 110257 (approx.) persons were benefitted by this Mobile Van Awareness Drive.**

During the aforesaid Mobile Van Awareness Drive, public made aware about the working and functions of NALSA, SLSA, DLSA, various schemes and policies of NALSA, Cyber Crime, Media Scams, ADR Mechanisms, National Lok Adalat, Commercial Courts, POCSO Act, Eradication of Drug Menace, Rights of Women and Children, Constitution Day, Government Welfare Schemes, Disaster Management, Uttarakhand Victim from Crime Assistance Scheme, 2013, other important Laws and Acts, etc.

ALMORA



BAGESHWER



CHAMPAWAT



NAINITAL



PITHORAGARH



UDHAM SINGH NAGAR



"15 DAYS LEGAL AWARENESS CAMPAIGN ON CHILD'S RIGHTS AND THEIR PROTECTION" ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FROM 05th OCTOBER, 2023 TO 19TH OCTOBER, 2023

It is humbly submitted that Hon'ble Supreme Court of India in the case of ***Salil Bali Vs. Union of India and Anr., 2013*** made the following observation:--"***It cannot be questioned that Children are amongst the most vulnerable sections in any society. They represent almost one-third of the world's population, and unless they are provided with proper opportunities, the opportunity of making them grow into responsible citizens of tomorrow will slip out of the hands of the present generation***".

Further, it is kindly submitted that India has the highest number of children in the world and children are particularly more vulnerable to exploitation and abuse than adults. Hence, they are more affected than any other age group by the actions and inactions. Moreover, it must be made sure not only by the government but by the people to try to do their part by trying to protect these fragile minds.

As we know that although in India, a child is referred to as a human being below the age of 14 years and from the age of 14 to 18, they are considered as an adolescent. All people under the age of 18 are entitled to the standards and rights guaranteed by the various laws established as per the mandate of the Constitution of India and accordingly, there is a constant need to bandwagon on Child rights, as the child rights are the subset of human rights.

Apart from this, National Legal Services Authority has also formulated a scheme namely; **NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015**.

Therefore, it is kindly submitted that having considered this issue, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was of the view that there is a need to conduct awareness programmes, camps and other similar activities for the Children in the State of Uttarakhand.

In this context, it is kindly submitted that in order to ensure the effective implementation of the aforesaid campaign at grass-root level, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was pleased to approve to organize a **"15 Days Legal Awareness Campaign on Child's Rights and their Protection"** in the State of Uttarakhand from 05th October, 2023 to 19th October, 2023.

In addition to the above and to make this drive a success, various legal aid and awareness activities were to be carried out by the District Legal Services Authorities during the aforesaid period of 15 days in their respective Districts. A look of such activities is hereunder:-

- (i)** To organize Awareness Programmes and Camps in Schools and Colleges, wherein children shall be sensitized about the NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015 and shall also be made aware about the various laws and rights relating to children.
- (ii)** To organize Awareness Programmes and Camps in Panchayat Levels, Village Levels and Far-flung Rural Areas, wherein gathering shall be made aware about the NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015 and shall also be made aware about the various laws and rights relating to children.
- (iii)** To organize Awareness Programmes and Camps in Observation Home/Children Home/Shelter Home/Special Home and in the Homes where such children reside, wherein gathering shall be made aware about the NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015 and shall also be made aware about the various laws and rights relating to children.
- (iv)** In addition to the other laws, to give special focus to the following topics during the said Campaign:-
 - (a)** NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015;
 - (b)** Prohibition of Child Labour;
 - (c)** Prohibition of Child Marriage;
 - (d)** Prohibition of Child Trafficking.
 - (e)** Juvenile Justice Act;
 - (f)** Right of Children to Free and Compulsory Education;
 - (g)** Protection of Children from Sexual Offences;

- (v)** To organize Awareness Rally of School's Children based on the theme of the Campaign.
- (vi)** To organize Radio Talk Show or Nukkad Natak on this campaign.
- (vii)** To make two visits/inspections in the Observation Home/Children Home/Shelter Home/Special Home and in the Homes where such children reside. One visit/inspection shall be made on surprise basis and one shall be made on non-surprise basis.
- (viii)** To conduct Debate/Drawing/Poster/Slogan/Essay/Poetry Competition in Schools and also in the Observation Home/Children Home/Shelter Homes/Special Homes and in the Homes where such children reside, and top three winners of each category shall be felicitated by the DLSA.
- (ix)** To organize Medical Health Check-up Camp in the Observation Home/Children Home/Shelter Homes/Special Homes and in the Homes where such children reside in collaboration with the Medical Department.
- (x)** To ensure effective and adequate publicity of 'Uttarakhand State Legal Aid Cell on Child Rights' established in District Haridwar for Garhwal Division and District Udham Singh Nagar for Kumaon Division.
- (xi)** To ensure to appoint special Panel Lawyer to deal with the cases relating to children/juvenile in conflict with law.
- (xii)** To ensure wider and adequate publicity of this Campaign through Local T.V. Channel, Print & Electronic Media and Digital Platform.
- (xiii)** To depict the news, information and photographs of the activities on the Facebook Page of the DLSA on regular basis by tagging all the DLSAs and Uttarakhand SLSA.

It is humbly submitted that for ensuring the necessary compliance of the aforementioned directions issued by the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, awareness programmes and camps were organized in Schools, Colleges, Panchayat Level, Village Level, Far-Flung Rural Areas, Observation Home/Children Home/Shelter Home/Special

Home and in the Homes where such children reside on the theme of this Campaign i.e. **“15 Days Legal Awareness Campaign on Child’s Rights and their Protection”** by the District Legal Services Authorities in association with the Para Legal Volunteers and all other concerning stakeholders.

On the basis of the statistical information furnished by the District Legal Services Authorities relating to the said Campaign, a consolidated report has been prepared and the same is hereunder:-

Name of the District	No. of awareness programmes/camps organized in Schools and Colleges.	No. of Students attended these programmes/camps	No. of awareness programmes / camps organized in Panchayat Level/Village Level and Far-Flung Rural Areas.	No. of persons attended these programmes /camps	No. of awareness programmes/camps organized in Observation Home/Children Home/Shelter Home/Special Home and in the Homes where such children reside.	No. of persons attended these programmes /camps
Almora	82	8168	11	850	08	268
Bageshwar	53	4302	35	826	01	55
Chamoli	96	6836	32	365	-	-
Champawat	11	1507	50	1101	-	-
Dehradun	94	14894	14	1117	11	975
Haridwar	08	300	11	400	03	80
Nainital	66	15860	20	1541	09	246
Pauri Garhwal	19	1419	08	601	02	15
Pithoragarh	13	1500 (Approx.)	05	1000 (Approx.)	-	-
Rudraprayag	20	1985	35	2545	-	-
Tehri Garhwal	21	2399	11	286	01	55
U.S. Nagar	121	13782	32	1644	03	300
Uttarkashi	09	768	09	179	04	37
TOTAL	613	73720	273	12455	42	2031

It is kindly submitted that as per the District-wise reports mentioned in the above table, it is found that during the aforesaid intensive 15 days drive, **total 928 awareness programmes/camps organized** (613 schools/colleges, 273 Panchayat/Village Level/Far-Flung Rural areas and 42 in Observation Home/Children Home/Shelter Home/Special Home and in the Homes where such children reside) wherein **around 88206 persons attended these awareness programmes/camps** (73720 schools/colleges, 12455 Panchayat/Village Level/Far-Flung Rural areas and 2031 in Observation Home/Children Home/Shelter Home/Special Home and in the Homes where such children reside).

Moreover, during the aforesaid 15 days of campaign, various other activities e.g. Awareness Rallies, Radio Show, Nukkad Natak, Debate/Drawing/Poster/Slogan/Essay/Poetry Competition were also conducted by the District Legal Services Authorities in Schools and in Observation Home/Children Home/Shelter Home/Special Home and in the Homes where such children reside.

In this regard, a consolidated report has been prepared, which is hereunder:-

Name of the District	No. of Awareness Rallies organized	No. of Radio Show organized	No. of Nukkad Natak organized.	No. of Debate/Drawing/Poster/Slogan/Essay/Poetry Competition conducted in Schools	No. of Debate/Drawing/Poster/Slogan/Essay/Poetry Competition conducted in Observation Home/Children Home/Shelter Home/Special Home and in the Homes where such children reside.
Almora	07	01	03	16	20
Bageshwar	04	-	-	07	01
Chamoli	01	-	-	04	-
Champawat	-	-	02	-	-
Dehradun	06	01	31	126	17
Haridwar	01	-	01	-	10
Nainital	06	04	02	-	02
Pauri Garhwal	12	01	02	14	01
Pithoragarh	10	-	05	03	-
Rudraprayag	15	-	25	19	-
Tehri Garhwal	-	-	-	02	-
U.S. Nagar	05	01	01	16	01
Uttarkashi	-	-	-	01	01
TOTAL	67	08	72	208	53

As per the above District-wise reports, it is found that **total 67 Awareness Rallies, 08 Radio Show and 72 Nukkad Natak were organized.** Apart from this, **208 Debate/Draw-ing/Essay/Slogan/Poster/Poetry Competition were conducted in schools and 53 such competitions were also conducted in Observation Home/Children Home/Shelter Home/Special Home and in the Homes where such children reside** by the District Legal Services Authorities during the aforesaid period in the State of Uttarakhand.

Further, in compliance of the above directions, all the District Legal Services Authority made surprise and non-surprise visit/inspections in the Observation Home/Children Home/Shel-ter Home/Special Home and in the Homes where such children reside. A consolidated report is hereunder:-

Name of the District	No. of Surprise Visit/Inspection made in Observation Home/Children Home/Shelter Home/Special Home and in the Homes where such children reside.	No. of Non-Surprise Visit/ Inspection made in Observation Home/Children Home/Shelter Home/Special Home and in the Homes where such children re-side.	Total No. of persons benefitted by this 15 days of Campaign	Other relevant points
Almora	04	04	12817	03 days awareness drive through Mobile Van of the Uttarakhand SLSA was conducted for children and other persons and around 2531 people were benefitted. Around 1500 Saral Kannuni Gyan Mala Books distributed. Apart from this, 02 Medical Health Check-up Camps were organized for the Children in Rajkiya Bal Grah (Kishori) and Shishu Sadan, Bakh.
Bageshwar	02	01	5397	-
Chamoli	-	-	7201	DLSA helped in making 82 Disability certificates and UDID Card. Moreover, it is highlighted that youngest Disabled Child of 03 years age got benefit of UDID.
Champawat	-	-	2608	On 08.10.2023, a Mega Multipurpose camp was organized, which was graced by the benign presence of Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA, wherein about 500-600 children were present who were made aware about the free legal services and other welfare schemes. Apart from this, with the efforts of DLSA, One 10 years old visually impaired child was also provided a walking stick for blind.

Dehradun	02	05	17286	-
Haridwar	02	-	700	-
Nainital	01	01	17401	Medical health check-up of 10898 students of government schools were made during the said campaign. Apart from this, medical health check-up of 212 children of Govt. Observation Home, Haldwani, Ramnagar and also in schools were made by the Medical Health Department.
Pauri Garhwal	01	01	2035	05 meetings were held with different stakeholders.
Pithoragarh	-	-	1500 Approx.	Mass campaign was done using print & electronic media. Most of the schools of District covered. Creating insights of children exhibited in reels, shorts, videos and Nukkad Natak.
Rudraprayag	-	-	4530	-
Tehri Garhwal	-	-	2740	-
U.S. Nagar	02	01	15426	-
Uttarkashi	-	01	1000 Approx.	-
TOTAL	14	14	90641	-

As per the above District-wise reports, **14 surprise and 14 non-surprise visits/inspections of the Observation Home/Children Home/Shelter Home/Special Home and in the Homes where such children reside** made by the DLSAs. Some of the DLSAs pointed out some issues/findings like; availability of expired food items in such homes, unhygienic toilets and utensils, broken flush tank and mats, non-cleanliness of washrooms, kitchen and buildings, unhygienic cereals, deployment of Nursing Staff, security arrangements, availability the services of free legal advocate, arrangement for skill development of inmates, etc. For this, necessary directions have been issued to the concerned to resolve the pointed issues/findings, at the earliest.

Further, total 90641 persons benefitted by this 15 days of campaign throughout the State of Uttarakhand.

It is kindly submitted that during the aforesaid 15 days of Campaign, valuable coordination and active participation were provided by the followings:-

- (i)** District Administration;
- (ii)** Police Administration and Special Juvenile Police Units;
- (iii)** Social Welfare Department;
- (iv)** Medical and Health Department;
- (v)** School and College Administration;
- (vi)** Commission for Protection of Child Rights;
- (vii)** Juvenile Justice Board and Juvenile Welfare Officers;
- (viii)** Child Protection Units and Child Marriage Prohibition Officer;
- (ix)** Child Welfare Committees.
- (x)** Child Psychologist/Psychiatrists.

During the aforesaid Campaign, the valuable laws like; NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015, Prohibition of Child Labour, Prohibition of Child Marriage, Prohibition of Child Trafficking, Juvenile Justice Act, Right of Children to Free and Compulsory Education, Protection of Children from Sexual Offences, NDPS Act, Motor Vehicles Act, etc. were covered and made the general public aware about this.

In order to make this Campaign a grand success, all the District Legal Services Authorities made wider publicity of the aforesaid 15 days of Campaign through Local T.V., Channel, Print & Electronic Media and Digital Platform. Regular information and news were also being uploaded on the Facebook Page of the DLSAs.







DISASTER MANAGEMENT & RELIEF TRAINING AND AWARENESS CAMPAIGN ORGANIZED BY THE DLSAs:

As per directions of the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA and with reference to **NALSA's Scheme for Legal Services to the Disaster Victims through Legal Services Authorities**, all District Legal Services Authorities imparted **Disaster Management Training** to the PLVs and other aspirants with the help of SDRF team.

In compliance of the directions issued vide letter No. 955 dated 21.07.2023; letter No. 1177 dated 29.08.2023 and letter No. 1346 dated 06.10.2023, Training Programmes for the intended PLVs and other persons were organized by the DLSAs in cooperation with NDRF/SDRF Team to provide necessary assistance to the disaster victims during discharging duties by the PLVs.

The objective of these training programmes is, to develop skills of the Para-Legal Volunteers and other Volunteers about rescue/relief work during occurrence of disasters such as cloud burst, earthquake, forest fire, landslide, building collapse, flash flood, glacier burst etc. in an effective manner while deployed for disaster response duties.

STATISTICAL REPORT ABOUT DISASTER TRAINING & AWARENESS CAMPAIGN

DLSA	Disaster Management Training/ Workshop	Resource Person	No. of persons attended training	Topics covered	Awareness Camps & Campaign	No. of persons attended/benefited in camps
Almora	1	SDRF Team	28 PLVs & 35 others	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quick relief during disaster; 2. How to manage effectively the disaster situation & relief work, 3. NALSA Disaster Scheme, 2010 4. How to manage heavy rain, earthquake, flash flood situation 	08 awareness camps during October, 2023 & 01.11.2023 to 30.11.2023 Awareness Campaign & door-to-door campaign & 06 camps by the TLSCs	3440 approx.
Bageshwar	1	SDRF Team	45 PLVs & other intended persons	<ol style="list-style-type: none"> 1. During disaster rescue, 2. Pre-cautions & Relief Work, 3. First Aid 	02 Webinar & Camp	262
Chamoli	3	SDRF Team	49 PLVs & others	<ol style="list-style-type: none"> 1. First Aid 2. Rescue work in disaster 3. First aid in suffocation 4. CPR 5. How to make Stretcher 6. Precaution in disaster 7. How to stop bleeding 	06	1150

Champawat	2	SDRF Team	75 PLVs & others	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disaster response work, 2. What to do first during disaster 3. How to save injured persons and give first aid 4. Different disaster relief work & precautions 	02	190
Dehradun	1	SDRF Team	55 PLVs & Court Employee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kind of disaster 2. Kind of Relief work during disaster 3. Connectivity to disaster place 4. First Aid 5. How to save himself & others during Catch fire, flash flood, earthquake, land slide 6. Demo/workshop & emergency services 7. Distribution of fundamental necessity things 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspection of disaster affected areas 2. Medical Camp 	560
Haridwar	1	SDRF Team	22 PLVs & others	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rescue relief work, 2. Kind of disaster, 3. How to handle flood, 4. Fire, earthquake and land slide situation. 	01	55
Nainital	2	SDRF Team	PLVs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relief work during disaster; 2. CPR (Cardiopulmonary Resuscitation); 3. NALSA Disaster Scheme, 2010 4. How to give first aid 	01	135
Pauri Garhwal	1	NDRF/SDRF Team	23 PLVs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disaster relief & management 2. CPR-FBO 3. Rope rescue 	02	380
Pithoragarh	1	NDRF Team	28 PLVs	<ol style="list-style-type: none"> 1. First Aid 2. What to do during heart failure 3. Mouth to mouth resuscitation procedure 4. Different rope knot 5. Quick relief to injured 6. Physical show of statue, ropes, handcuff, angle & tools 	05	1080
Rudraprayag	1	SDRF Team	21 PLVs & others	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rescue relief work, 2. Kind of disaster, 3. How to handle flood, 4. Fire, earthquake and land slide situation. 	1	45
Tehri Garhwal	1	SDRF Team	27 PLVs & others	<ol style="list-style-type: none"> 1. How to rescue 2. Kind of disaster 3. Relief work during disaster 4. First Aid 5. How to save himself & others during Catch fire, flash flood 	07	1513
U.S. Nagar	1	SDRF Team	80 PLVs, Panel Lawyers & others	<ol style="list-style-type: none"> 1. Essential knowledge and skills in disaster 2. How to address implementation challenges 3. Principles of handling and transportation of radioactive material, 4. Radiological waste management. 	4	1550

Uttarkashi	1	SDRF Team and Fire Brigade Team	28 PLVs & 350 others	<ol style="list-style-type: none"> 1. What is disaster 2. Measures & precautions during disaster, cylinder burst, land slide, earthquake 3. How to save disaster victims, children 4. 03 PLVs were deputed at collapsed under construction tunnel to help & provide legal aid to disaster victims and their families 	3	650
------------	---	--	-------------------------	--	---	-----

ALMORA



BAGESHWAR





CHAMOLI





CHAMPAWAT



DEHRADUN





HARIDWAR



NAINITAL



PITHORAGARH



RUDRAPRAYAG



TEHRI GARHWAL



UDHAM SINGH NAGAR



UTTARKASHI



VISITS/INSPECTIONS OF DISTRICT/SUB-JAILS, LOCK-UPS, CHILDREN/OBSERVATION HOMES, NARI NIKETAN, FRONT OFFICE, LEGAL AID CLINICS & ONE STOP CENTERS etc.

BAGESHWAR

Inspection of Govt. Observation Home, Govt. Girls Homes and Govt. Children Home in Almora on 11.10.2023 by Secretary, DLSA, Bageshwar.



Inspection of Govt. Observation Home, Govt. Girls Homes and Govt. Children Home in Almora on 07.11.2023 by Secretary, DLSA, Bageshwar.



Inspection of Special Cell established for Labourers by Secretary, DLSA, Bageshwar on 16.12.2023.



Inspection of Front Office as per NALSA Guidelines on dated 08 Nov. 2023 by Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar.



PLVs and Panel Lawyer Monthly Meeting on dated 09.11.2023 by Secretary, DLSA, Bageshwar.



CHAMOLI

Inspection of Uttaranchal Youth Rural Development Center, Chamoli by Secretary, DLSA Chamoli on 07.10.2023



Visit of JJB, Chamoli by Secretary, DLSA Chamoli on 10.10.2023



PITHORAGARH

Visit of Destitute Women Workshop Center by Secretary, DLSA Pithoragarh on 10.11.2023.



NAINITAL

Visit of Govt. Observation Home, Haldwani Nainital by Chairperson and Secretary, DLSA Nainital on 22.11.2023.



TEHRI GARHWAL

Inspection of Legal Aid Clinic at Kotwali, New Tehri by Secretary, DLSA Tehri Garhwal on 29.11.2023.



Visit of JJB Tehri Garhwal by Secretary, DLSA Tehri Garhwal on 24.11.2023.



MISCELLANEOUS PHOTOS AND NEWS PAPER CUTTINGS OF THE PROGRAMMES AND ACTIVITIES CONDUCTED DURING OCTOBER TO DECEMBER, 2023

BAGESHWAR

Legal Awareness Camp was held on the Subject " Child Rights and their Protection, female feticide, illegal trafficking, POCSO, Environment Protection, Drug Abuse on dated 09.10.2023 at Govt. Inter College Karmi by Secretary, DLSA, Bageshwar.



Legal Awareness Camp on 12.10.2023 by Secretary, DLSA, Bageshwar about Skill Development to Youth, highlighting Govt. Skill Development Training.



Virtual meeting by Secretary, DLSA Bageshwar on 12.10.2024 about "15 Days Legal Awareness Campaign on Child Rights and their Protection" from 15.10.2023 to 19.10.2023 with Principal Magistrate JJB, Police Officer, Chief Education Officer, Social Welfare Officer, Deputy CMO and Chairman, CWC Bageshwar

Legal Awareness Camp on 21.10.2023 for Children (Mentally & Physically disabled), Domestic Violence, Child Marriage and Child Labour by DLSA, Bageshwar in collaboration of District Administrative and Health Department at Govt. Inter College Bantoli.



Meeting with JJB, CWC and SJPU Members on 16.11.2023 by DLSA, Bageshwar



Monthly meeting with PLVs & Panel Lawyers on 02.12.2023 by Secretary, DLSA Bageshwar.



Legal Awareness Camp on 09.12.2023 on Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism including mediation and arbitration, by Secretary, DLSA, Bageshwar



Awareness Camp on 16.12.2023 in Vikas Bhawan Auditorium Bageshwar on "Provisions of Sexual Harassment of women at workplace (prevention, prohibition and Redressal) Act, 2013 (in short PoSH Act)" by Secretary, DLSA, Bageshwar



CHAMOLI

Secretary, DLSA Chamoli convened monthly meeting with JJB Members & others on 15.12.2023.



Legal Awareness Camp on 13.12.2023 in far flung vil- lage Chaturani Kanda on "Environment Protection and NALSA Victims of Drug Abuse, 2015,



Legal Awareness Camp was held on 18.12.2023 in Far Flung Govt. Primary school Amoli Garur on the Subject "Environment Protection and NALSA Schemes.



CHAMPAWAT

DLSA Champawat organized a Medical Camp at Adarsh Ram Leela Ground in December, 2023.



DEHRADUN

Secretary, DLSA Dehradun organized a Legal Awareness Camp on 07.10.2023 at SDRF Campus Jolly Grant and 210 SDRF Trainees/Force were made aware about Gender Equality, Child & Women Rights, Road Safety, Cyber Crime, Constitution of India, NALSA Portal etc.



Awareness camp by PLV, DLSA Dehradun about Child Labour & Child Trafficking on 19.12.2023

Legal awareness camp for labourers of unorganized sector by PLV Dehradun on 16.12.2023



NAINITAL

DLSA Nainital organized Medical Camp on 13.10.2023 for senior citizens in cooperation with Heal Department.



RUDRAPRAYAG

Legal Awareness Camp was organized on 13.11.2023 at GIC, Ratura



PAURI GARHWAL

Monthly meeting with PLVs on 12.12.2023 virtual and offline by Secretary, DLSA Pauri Garhwal



Legal Awareness Camp was held on dated 12.12.2023 on PoSH Act by Secretary, DLSA, Pauri Garhwal



संविधान दिवस पर निशुल्क विधिक शिविर का किया गया आयोजन

न्यूज प्रिन्ट संवाददाता
सितारगंज। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आंगनवाड़ी केंद्र साधु नगर में एक निशुल्क विधिक शिविर का आयोजन संविधान दिवस पर आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 35 से 40 महिलाएं पुरुष एवं बच्चों ने प्रतिभा किया। शिविर में फाइनल अधिवक्ता मनोरमा गुप्ता ने भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के निर्माण भूमिका और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान कराई गई और संविधान उद्देश्य का के साथ शपथ दिलाई गई। शिविर में प्रविधि कार्यकर्ता मनोज कुमार और मंजू



यनी ने डीएस को निशुल्क विधिक सेवा और सहायता के बारे में राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में और मल्टीपराज विधिक कैंप के बारे में ग्रामीण जनमानस को जानकारी प्राप्त कर पम्पलेटों को वितरण किया गया। फोटो में रिपोर्टर कर्णालय के संजान में प्रेषिता प्रतिभागी प्रतिनिधि कार्यकर्ता मनोज कुमार मंजू यनी ने प्रतिभा किया।

शारीरिक ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य भी है जरूरी


अक्षम बच्चों को सक्षम बनाने की दी जानकारी

■ **श्रद्धिकेश।** तहसील विधिक सेवा समिति श्रद्धिकेश की ओर से मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। मंगलवार को मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर ज्योति विशेष स्कूल प्रांगण श्रद्धिकेश में विधिक साक्षरता के लिए जागरूकता शिविर लगाया गया। केंद्र में अध्ययनरत मानसिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों की देखभाल और सुरक्षा के संबंध में उनके शिक्षकों व अभिभावकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उन्हें संविधान में प्रदत्त अधिकार और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। तहसील विधिक सेवा समिति की सचिव नंदिता काला ने ऐसे विशेष बच्चों के अधिकारों, भरण पोषण, पेशन योजना, चिकित्सा सहित जीवन जीने के अधिकारों के बारे में जानकारी साझा की। सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता ने मानव जीवन में आने वाली मानसिक परेशानियों को लेकर चर्चा की। मानसिक परेशानी को कम करने के लिए सुझाव दिए। इस दौरान विशेष बच्चों के लिए विद्यालय में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। नताद।



जोशना

जिला जज ने लिया हेल्प डेस्क का जायजा



रोशनाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित नौ दिसंबर को लोक अदालत को सफलता के लिए जिला जज ने स्वयं कमान संभाल ली है। बुधवार को उन्होंने प्राधिकरण के सचिव समेत अन्य पदेन पदाधिकारियों के साथ हेल्प डेस्क का जायजा लिया। प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज सिकेंदर कुमार त्यागी ने कहा कि वाद निस्तार का सबसे सरल माध्यम लोक अदालत है। इसमें कोई भी अपने वाद का निस्तारण करा सकता है। पदेन सदस्य सीजीएम संगीता आर्य व विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभय सिंह ने बताया कि लोगों को जागरूक बना जा रहा है। हेल्प डेस्क के चौथे दिन हेल्प डेस्क में उपस्थित विधिक सेवा के टैनेर अधिवक्ता परमेश्वर राठीर पैनल लॉयर नीलू शर्मा विकास जैन आदि के ज्यों को देखा गया। संवाद

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को रहें जागरूक

जासं, बागेश्वर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। 15 दिवसीय मुहिम को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाई।

तहसील सभागार में गोष्ठी आयोजित की गई। जिसमें वर्षभर के क्रियाकलापों पर चर्चा हुई। प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने कहा कि पांच से 19 अक्टूबर तक बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलेंगे। जिसमें अधिकारों के संरक्षण विषय पर बात होगी। पराविधिक कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

वह न्याय पंचायत स्तर पर गांव और विद्यालयों में शिविर आयोजित करेंगे। इसके बाद नगर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। गोमती पुल से मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय तक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। आम जन मानस को अज्ञेयिक कूड़े का निस्तारण करने को जागरूक किया गया। इस दौरान खगाली दत्त, षष्ठी कोडपाल, चंचल कोरगा, पंकज डसीला आदि उपस्थित थे।

विद्यार्थियों को दी विधिक जानकारी

बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण विषय पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रातिरकेटी राजकीय इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम, बाल-विवाह, बाल श्रम, संविधान के मौलिक अधिकार, विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलाप, निशुल्क विधिक सहायता, मोटर वाहन अधिनियम, पॉक्सो की जानकारी दी।

बाल अधिकार और उनके संरक्षण विषय पर चित्रकला, स्लोगन, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। संवाद

शिविर का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से अक्षम लोगों को जानकारी देना

रुद्रप्रयाग। सिविल जज (सीडि) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि रंजन की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज बसुकेदार में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग, कृषि, पशुपालन, वन विभाग, समाज कल्याण एवं बाल विकास विभागों की ओर से अपने-अपने स्टाॅल लगाए गए तथा जन सामान्य को विभागीय जानकारी दी। साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया गया।

सिविल जज (सीडि) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रवि रंजन ने शिविर में उपस्थित लोगों को विभिन्न कानूनी जानकारी दी। साथ ही बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से अक्षम एवं अक्षमताग्रस्त लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करना है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कानूनी प्रावधानों जैसे पीसीपीएनडीटी अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, रहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम व पोक्सो अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना के अंतर्गत किसी अपराध से पीड़ित कोई व्यक्ति प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार रखता है। शिविर में राजकीय इंटर कॉलेज बसुकेदार के प्रधानाचार्य, टैनेर अधिवक्ता, तहसीलदार बसुकेदार सहित बाल विकास, कृषि, उद्यान, सहाकारिता, चिकित्सा आदि विभागीय प्रतिनिधिगण, छात्र-छात्राएं व अन्य मौजूद रहे।



राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस आयोजन में विधिक सेवा से संबंधित कई डॉक्यूमेंट्री बच्चों को दिखाई, जिसमें दैनिक सामाजिक जीवन से जुड़े विधिक मुद्दे शामिल रहे। इन डॉक्यूमेंट्री में प्रमुख रूप से सरकार की योजनाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों में झोंप आउट, यदि किसी विद्यालय द्वारा बच्चों का रिजल्ट रोकना गया हो या एडमिशन नहीं हो रहा हो, और करीब 12 वर्णित व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता से संबंधित जानकारी के बारे में बताया गया।





जिले में 15 दिन चलेगा जागरूकता अभियान

बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह के नेतृत्व में बच्चों के अधिकारों एवं उनके संरक्षण विषय पर तहसील सभागार में बैठक आहूत की गई। बैठक में सचिव ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन में आगामी 15 दिनों तक जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाना है। न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों में जागरूकता शिविर लगाये जाने हैं। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य के नेतृत्व में शिविर आयोजित कराने को कहा। इसी क्रम में सचिव जयेंद्र सिंह के नेतृत्व में तहसील परिसर से गोमती पुल तक संरक्षण के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को बच्चों के अधिकारों एवं उनके संरक्षण के बारे में बताया गया। साथ ही सफाई अभियान चलाया गया।

विधिक जागरूकता शिविर में विद्यार्थियों को दी कानूनी जानकारी

बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशन में विगत पांच अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बच्चों के अधिकारों एवं उनके संरक्षण विषय पर 15 दिवसीय जागरूकता मुहिम चलाये जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में शनिवार को दूरस्थ क्षेत्र ग्रामसभा रातिरकेटी के राजकीय इंटर कॉलेज, रातिरकेटी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जयेंद्र सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने छात्र-छात्राओं को बाल अधिकारों, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह, बाल श्रम, संविधान के मौलिक अधिकार, विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलाप, निःशुल्क विधिक सहायता, मोटर वाहन अधिनियम, पोक्सो, पर्यावरण संरक्षण एवं नशे से होने वाले दुष्परिणाम एवं लिंग द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित समस्त शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं।



शिविर में बच्चों को जानकारी देत व प्रमाण पत्र बांटते सचिव ज.वि.से.प्रा.

बाल अधिकारों को लेकर किया जागरूक

जासं, बागेश्वर : राजकीय इंटर कालेज रातिरकेटी में विधिक जागरूकता शिविर में बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर 19 अक्टूबर तक विद्यालयों में ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बाल अधिकारों एवं उनका संरक्षण विषय पर चित्रकला, स्लोगन, निबंध प्रतियोगिता हुई।

स्कूली बच्चों को बताएं उनके अधिकार

जासं, बागेश्वर : राजकीय इंटर कालेज कन्यालीकोट में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। बच्चों के अधिकारों और संरक्षण विषय पर प्रतियोगिताएं हुईं। अखिल विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण को लेकर जागरूकता मुहिम चलाई गई है। जिसके तहत बच्चों को उनके अधिकार बताए जा रहे हैं। अभिभावकों को भी बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना है। उन्होंने विद्यार्थियों को विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों के बारे में भी बताया। बाल अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह, बाल श्रम, संविधान के मौलिक अधिकार आदि कानून की जानकारी दी। इसके अलावा निःशुल्क विधिक सहायता, मोटर वाहन अधिनियम, पोक्सो, पर्यावरण संरक्षण एवं नशे से होने वाले दुष्परिणाम, लिंग द्वितीय अधिनियम 1994 आदि के बारे में जानकारी दी।

विधिक सेवा रथ को दिखाई हरी झंडी

शाह टाइम्स संवाददाता

बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर के संयुक्त तत्वाधान में दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले आमजनमानस को विधिक जागरूकता दिये जाने के उद्देश्य से जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर के मार्गदर्शन में अधीन विधिक सेवा रथ (मोबाईल वैन) तीन दिनों के लिए कपकोट तहसील के दूरस्थ क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए वीडिओ स्क्रीन व पैम्फलेट आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी। रथ को सोमवार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। सोनियर सिविल जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि विधिक सेवा रथ (मोबाईल वैन) 17 अक्टूबर को कपकोट से कर्मी, बदियाकोट आदि गांवों के भ्रमण, 18 अक्टूबर को शामा, लोती आदि गांवों के भ्रमण पर होगी जबकि अन्तिम दिन 19 अक्टूबर को सौंग, सूपी आदि गांवों में भ्रमण करेगी।

जीआईसी कर्मी में विधिक जागरूकता शिविर

बागेश्वर। बच्चों के अधिकार एवं उनके संरक्षण अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने विकास खंड कपकोट के कर्मी इंटर कालेज में विधिक जागरूकता शिविर लगाया। शिविर में सचिव जयेंद्र सिंह ने बच्चों को विधिक कानूनों को जानकारी दी।

उच्च विद्यालय के निर्देशन में इन दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क्षेत्र जिले में बच्चों के अधिकारों के संबंध में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने सोमवार को जिले दूरस्थ क्षेत्र कर्मी में शिविर आयोजित किया। उन्होंने राईका कर्मी के बच्चों को बाल अधिकारों, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह, बाल श्रम, मौलिक अधिकार, विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलाप, निःशुल्क विधिक सहायता, मोटर वाहन अधिनियम, पोक्सो, पर्यावरण संरक्षण एवं नशे से होने वाले दुष्परिणाम एवं लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज कर्मी में बाल अधिकारों एवं उनका संरक्षण विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के प्रभावपूर्ण सहित समस्त शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद थे।

छात्र-छात्राओं को दी कानूनी जानकारी

बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले के दूरस्थ गांव कर्मी के राजकीय इंका में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं को कानूनी जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को बाल-अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम, बाल-विवाह, बाल-श्रम, पोक्सो, पर्यावरण संरक्षण, नशे से होने वाले दुष्परिणाम और लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान बाल अधिकारों का संरक्षण विषय पर चित्रकला, स्लोगन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। संवाद

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया

बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जज/अध्यक्ष राजीव कुमार खुल्बे की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया।

उन्होंने पराविधिक कार्यकर्ताओं और पैन्ल अधिवक्ताओं को विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी। आम लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने के लिए पराविधिक कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया गया।

उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पराविधिक कार्यकर्ताओं और पैन्ल अधिवक्ता को प्रशस्तिपत्र दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या बोरा, सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट पुनीत कुमार, पैन्ल अधिवक्ता त्रिलोक चंद्र जोशी और पराविधिक कार्यकर्ता मौजूद थे। संवाद



कपकोट में विधिक सेवा रथ के कार्यक्रम के दौरान विवेकानंद हिचोड़ी के बच्चे

विधिक सेवा रथ ने बांटी कानून ज्ञानमाला

संवाद सत्र, कपकोट : विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में चल रहा विधिक सेवा रथ (मोबाइल वैन) कपकोट तहसील के गांव तथा स्कूलों में पहुंच रहा है। वैन के माध्यम से कानूनी ज्ञानमाला बांटी जा रही है। इसके अलावा छात्रों को उनके लोकोत्तमिक अधिकारों व साइबर क्राइम से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। यह वैन तीन दिन तक क्षेत्र में रहेगी। बुधवार को वैन सबसे पहले विवेकानंद विद्या मंदिर हिचोड़ी पहुंची। यहां छात्रों को कानूनी ज्ञानमाला बांटी। इसके बाद कपकोट, शामा, माजखेत, खडलेख, लीती आदि गांवों का भ्रमण कर आम जनमानस एवं विद्यालय के बच्चों को भी जागरूक किया गया। उन्हें कानूनी साहित्य भी दिया गया। समाज के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तथा उसके अधिकार के बारे में भी बताया गया।

कपकोट में मोबाइल वैन देगी कानून की जानकारी

बागेश्वर, संवाददाता। कपकोट तहसील के दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को युष्त कानून की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए विधिक सेवा रथ (मोबाइल वैन) क्षेत्र में जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रथ रवाना किया।



बागेश्वर में विधिक सेवा रथ को रवाना करते विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव।

के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी। मंगलवार को वैनकपकोट से कर्मा, बदियाकोट आदि गांवों के भ्रमण करेगी। दूसरे दिन शामा, लीती, जबकि अंतिम दिन सौगा, सूपी आदि गांवों में भ्रमण करेगी। उन्होंने लोगों से लाभ लेने की अपील की है।

नियम, अधिनियम की जानकारी दी

बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कपकोट क्षेत्र में कानून बताए गए। जिला जज/अध्यक्ष प्राधिकरण आरके खुल्बे के मार्गदर्शन में यह शिबिर लगे। संवाद

विधिक प्राधिकरण की जागरूकता वैन रवाना

बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को तीन दिनी अभियान के तहत विधिक जानकारी दी जाएगी।

सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ सीनियर सिविल जज जयेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। बताया कि 17 से 19 अक्टूबर तक जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरके खुल्बे के मार्गदर्शन में कपकोट तहसील के दूरस्थ क्षेत्रों में वीडियो स्क्रीन, पंपलेट आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा।

17 अक्टूबर को कपकोट, कर्मा, बदियाकोट, 18 अक्टूबर को शामा, लीती और 19 अक्टूबर को सौगा, सूपी आदि गांवों में वैन के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। संवाद

न्यूज डायरी

कपकोट में चलाया जागरूकता अभियान

बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को कपकोट के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल वैन के जरिये जागरूकता अभियान चलाया गया। कपकोट, शामा, माजखेत, खडलेख, लीती आदि गांवों में अभियान चलाकर लोगों को स्क्रीन पर वीडियो दिखाई गई। लोगों को पर्चे और कानूनी ज्ञानमाला की किताबें मुफ्त बांटी गईं। इस अभियान का समापन बृहस्पतिवार को होगा। संवाद



बागेश्वर में गुरुवार को श्रेष्ठ पैराविधिक व पैनल अधिवक्ता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते जिला जज आरके खुल्बे।

पैराविधिक व पैनल अधिवक्ता सम्मानित

बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला न्यायालय परिसर बागेश्वर में 'राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस' मनाया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज आरके खुल्बे ने प्राधिकरण के क्रियाकलापों, राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने सात श्रेष्ठ पैराविधिक कार्यकर्ताओं तथा एक श्रेष्ठ पैनल अधिवक्ता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

महिला अधिकारों के लिए जागरूक किया

बागेश्वर। विकास भवन सभागार में महिला अधिकारों पर गोष्ठी हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने महिलाओं के अधिकार और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने संबंधी कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया। कार्यक्रम में डीडीओ संगीता आर्या, प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी हेम चंद्र तिवारी, डीपीओ अनुलेखा बिष्ट आदि थीं। संवाद

एक्सपायर खाद्य वस्तुओं की विक्री रोकने को चलाया अभियान

देहरादून। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर एक्सपायर खाद्य वस्तुओं की विक्री की रोकथाम के लिए अभियान चलाया है। टीम ने लक्खीबाग व आदुत बाजार में थोक व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान वनस्पति तेल, वनस्पति घी, मिठाई, चाकलेट सहित आठ खाद्य वस्तुओं के नमूने लिए गए, जिन्हें गुणवत्ता जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया है। वहीं, एक्सपायर खाद्य पदार्थ नष्ट कराए गए। व्यापार मंडल, अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने सभी थोक व्यापारियों व डिस्ट्रीब्यूटर को अपने प्रतिष्ठान में कोई भी एक्सपायर खाद्य सामग्री नहीं रखने की अपील की है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने थोक व्यापारियों व डिस्ट्रीब्यूटर को निर्देशित किया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के संबंध में मानक निर्धारित हैं। किसी भी कंपनी के पैकेज उत्पाद के भंडारण से पूर्व लेबल कंडीशन को चेक करना होगा और क्रय विक्रय प्रबंधन भी आवश्यक है। यदि कोई खाद्य वस्तु एक्सपायर हो जाती है तो उसको बाजार से रिकाल किया जाना चाहिए। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम रिकाल रेगुलेशन 2017 लागू किया है (जास)

गांवों में पहुंचा विधिक रथ, बांटी पुस्तिका

जास, बागेश्वर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का विधिक सेवा रथ कपकोट के दूरस्थ गांवों तक पहुंचा। जहां लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया गया। कानूनी जानकारी भी दी गई। स्कूलों बच्चों को कानूनी ज्ञानमाला प्रदान की जा रही है। जिला जज एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरके खुल्बे के निर्देशन में यह विधिक सेवा रथ गांवों में भेजा गया है। जिसमें गुरुवार को कपकोट की सुल्बेबाग की जागरूकता वैन रथी गई। उई जेडीओ के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। रथ सौगा, युवार, म डीडीओ, कर्मा आदि गांवों में पहुंचे। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने बताया कि रथ राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में गुरुवार को भेजा गया है। कानूनी ज्ञान गांवों को निस्तृत करे और कानूनी जानकारी से लोग अवगत हो रहे हैं। अब हिंदी की खबर अंग्रेजी में भी पढ़ें www.jagranpost.com

बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिबिर आयोजित



अमर विद्वानान उपप्रदाया। सांघ (सिवाल जज विस विधिक सेवा प्राधिकरण सहकार्य निर रैन को अग्रपक्ष में आम रामकींग डेर वलिन पसुकिर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिबिर का आयोजन किया गया। आयोजित शिबिर में स्वास्थ विभाग, कृषि, पर्यटन, जन विभाग, समाज कल्याण एवं वलन किरासत अदि विभागों द्वारा अपने-अपने वराल लक्ष्य गाए तथा जन समायोष को निम्नक विधायी जानकारी दी गई। साथ ही उनकी समस्याओं का निम्नकाल भी किया गया (सविन्य/सिवाल जज विस विधिक सेवा प्राधिकरण सहकार्य निर रैन द्वारा शिबिर में उपस्थित लोगों को विधिक कानूनी जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि जिस विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के अधिकार से आम एवं अग्रपक्षित लोगों को निम्नक विधिक सेवा प्रदान करना है। इस दौरान उन्होंने विधिक कानूनी प्रश्नको जैरो वीपीपीएनडोटी अधिनियम, किरासत का अधिनियम, वलन विधिक साक्षरता अधिनियम, वलन प्रलिया अधिनियम, पोर्नु गिला अधिनियम व वीकी अधिनियम को जनावगरी दी। उनके द्वारा बताया कि जज कि उभारकक अंगार से वेडिडत सारकाल में जज के अंगत किओ अंगार से वेडिडत कोई वलिन प्रलिया जण करने का अधिनियम उल्लंघन है। अधिनियम बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिबिर में रामकींग डेर वलिन वसुकिर के अंगतक, टिंजर अधिनियम, वलनलियर वसुकिर वलन वलन किरासत, कृषि, उद्यम, सारकाल, किरासत अदि विभागों व प्रतियोगिता, उद्यम-अंगार व अन्य वीकिर रहे।

छात्रों को किया जागरूक



शिविर में जानकारी देते हुए जयेंद्र सिंह

बागेश्वर। उत्तराखण्ड राज्य शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला जज/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर के मार्गदर्शन पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को राजकीय इंटर कॉलेज भटखोला में विधिक जागरूकता

इस दौरान छात्रों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों के बारे में बताया गया। शिविर में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य, अध्यापक, पर्याविधिक कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

कैमिस्ट की दुकानों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश

बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने वरिष्ठ औषधि निरीक्षक को दूर-दराज के इलाकों की कैमिस्ट की दुकानों और जनरल स्टोर्स का समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं कार्रवाई की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को एकसपायरी सामग्री की बिक्री की रोकथाम के लिए गठित समिति की ऑनलाइन बैठक हुई। प्राधिकरण के सचिव ने समिति के सदस्यों को खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाली दुकानों, जनरल स्टोर्स और होटलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मोनाक्षी बिष्ट, डॉ. हरीश पोखरिया और अन्य सदस्य शामिल हुए। संवाद

यौन शोषण रोकथाम अधिनियम की जानकारी दी



कार्यशाला में जानकारी देते सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देश पर महिलाओं का यौन शोषण रोकथाम अधिनियम, 2013 पर शनिवार को विकास भवन सभागार, बागेश्वर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यौन शोषण से रोकथाम अधिनियम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रत्येक विभागीय स्तर

पर आंतरिक शिकायत समिति गठित होनी चाहिए, जिसमें कम से कम आधे सदस्य महिलाएं ही होंगी। कार्यशाला में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर जयेंद्र सिंह, संगीता आर्या जिला विकास अधिकारी, हेम चन्द्र तिवारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर, अनुलेखा बिष्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी बागेश्वर, शिल्पी पंत परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अधिकरण आदि मौजूद थे।

हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी



बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र दत्त के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमोली में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राधिकरण के सचिव ने नशे और ड्रग्स से होने वाले दुष्प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता, विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलाप, लैंगिक समानता से संबंधित जानकारी दी। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 42 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं बांटीं। संवाद

स्कूलों से लेकर नगर की गलियों तक चला अभियान



बाजपुर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रिवार सुबह स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली और इसके उपरत विद्यालयों की साफ-सफाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रिवार सुबह रिवरडेल इंटर नेशनल स्कूल, श्रीदशमेश स्कूल, सेंटमरी हायर सेकेंडरी स्कूल, ज्ञानदीप स्कूल, जैनियस ग्लोबल स्कूल, विकास भारती, जीआईसी, इंटर कॉलेज, राइका बैरिया दौलत, महेशपुरा, गजरोला, सुस्तानपुर पट्टी, बरहेनी, हरिपुरा हरसान, बनाखेड़ा आदि में साफ सफाई की गई। हमारा स्वच्छ विद्यालय हमारा स्वच्छ कार्यालय के बारे में बताया गया। छात्र-छात्राओं को गंदगी से फैलने वाले रोगों की जानकारी दी गई। वहीं, एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी की अगुवाई में मुख्य मार्ग पर सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक हो रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन

खटीमा। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर धारू राजकीय इंटर कॉलेज में प्रभा और चंचल सिंह ने कानूनी जानकारी व जिला विधिक सेवा



प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार कटियार की अध्यक्षता में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं डॉक्टर बीपी सिंह की अध्यक्षता में नागरिक चिकित्सालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन पीएलबी विमल कुमार ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर बीपी सिंह तथा डॉक्टर केशी पंत द्वारा एड्स की रोकथाम व बचाव के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। पैनल अधिवक्ता रनेह

सिंह रीतेला ने एड्स के बारे में, पैनल अधिवक्ता शहाना बेगम ने एड्स व मोटर व्हीकल्स के बारे में बच्चों को जानकारी दिया। विमल कुमार, तथा प्रभु दयाल ने एचआईवी और एड्स में अंतर तथा एड्स किन-किन लापरवाहियों से फैलता है के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों को जागरूक किया तथा यह जानकारी औरों को भी देने की बात कही। इस अवसर पर मीरा देवी, पिंकी राना, प्रीती राना, कमला गोस्वामी दग्गी देवी तथा भगवती राना आदि उपस्थित रहे।

सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा शिविर

मुफ्त जांच तथा मुफ्त दवाइयों के बारे में दी जानकारी

न्यूज प्रिन्ट संवाददाता

सितारगंज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य के लिए शिविर लगाकर जानकारी दी गई और विस्तार से गरीबों को मुफ्त होने वाला इलाज को शिविर के माध्यम से बताया गया। जिसमें हर गरीब परिवार को सही इलाज समय पर मिल सके और जिले से आए हुए डॉक्टरों की टीम के माध्यम से और गर्भवती महिलाओं के लिए भी जानकारी दी गई। बताया गया कि सही समय पर उनका इलाज होना बहुत ही आवश्यक है और कहा गया कि इसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं होना चाहिए और आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपना टीकाकरण और जांच जरूर करवा ले और कहा की आने वाली बीमारियों से हमें लड़ना है जिससे कि हम मौत को भाग सके हम स्वस्थ रहेंगे हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और आसपास की सफाई होना आवश्यक है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपालन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में



चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में पैनल अधिवक्ता मनोरमा गुप्ता व प्राविधिक कार्यकर्ता मंगल सिंह, मनोज कुमार, मंजू रानी द्वारा वरिष्ठ नागरिक के अधिकार व उनके प्रति सम्मान व उनके चिकित्सा के अधिकार के बारे में जागरूकता कार्यक्रम किया गया तथा वरिष्ठ नागरिकों को क्या-क्या सरकारी सुविधाएं प्रदान की गई है उनके बारे में जानकारी दी गई। तथा मुफ्त में जांच की व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया।

न्यायालय परिसर में किया गया पौधरोपण

जसपुर। गांधी जयंती के अवसर पर सिविल न्यायालय में महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सिविल जज मनोज सिंह राणा ने गांधी जी के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। अन्य वक्ताओं ने भी गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। सिविल जज के नेतृत्व में न्यायालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया और सफाई अभियान भी चलाया, जिसमें पैनल अधिवक्ता राजश्री सिंह, भूपेश राय वर्मा, पीएलबी वीर सिंह गौतम, आदेश कुमार, संगीता रानी, मुनेश कुमारी, लता देवी, जीतेंद्र कुमार, सोनू कुमार, कोर्ट स्टाफ के पीयूष कुमार, विमल कुमार, मोहम्मद नाजिम, रवि पांडे, अनुज कुमार, मिथिलेश कुमार आदि मौजूद रहे।

विधिक शिविर में दी गई वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी

गदरपुर। गदरपुर तहसील की टीम ने सीएचसी में डॉ संजोव कुमार सरना की अध्यक्षता में विधिक शिविर का आयोजन किया। शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार व सम्मान, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, महिलाओं के अधिकार के बारे में चर्चा की गई। पैनल लायर रेखा दास ने प्राधिकरण से मिलने वाली सेवाओं की जानकारी दी। शिविर में डॉ अंजनी कुमार ने मौके पर मौजूद लोगों को स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया। वहां राजकुमारी, कमलेश गौतम, मो. रिजवान खान, राजू वाल्मीकि आदि थे। संवाद

एसडीआरएफ ने दिया विधिक कर्मियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण



आज समाचार सेवा
चंपावत। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल निर्देश पर जिला जज व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत कहकशा खान के निर्देशानुसार तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवाजी पसबोला के दिशा-निर्देशन में शनिवार को जिला न्यायालय सभागार कक्ष में आपदा से बचाव के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का प्रारम्भ एसडीआरएफ के

प्रभारी अधिकारी नवीन कुमार एव उनकी टीम के द्वारा उपस्थित सभी अधिकारीगण, विद्वान अधिवक्तागण, समस्त कर्मचारीगणों को आपदा से बचाव के मूल भूत नियम बताये गए। उक्त कार्यक्रम में सिविल जज सोनियर डिवीजन चम्पावत श्री हेमन्त सिंह राणा, सिविल जज जुड़ो सुश्री जहाँआरा अंसारी, जिला बार संघ के समस्त अधिवक्तागण, समस्त पीएलवी गण के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

एसडीआरएफ जवानों ने दिया स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण

रुद्रप्रयाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन कार्यरत स्वयंसेवकों को एसडीआरएफ ने आपदा प्रबंधन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षुओं ने डेमो, स्ट्रेचर तैयार किए जाने के तरीकों के साथ ही राहत एवं बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 45 स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग किया। पुलिस लाइन रुद्रा में आयोजित प्रशिक्षण में एसडीआरएफ के जवानों ने आपदा के समय की जाने वाली राहत एवं बचाव कार्य के दृष्टिगत व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। एसडीआरएफ के प्रशिक्षुओं ने इस दौरान आपदा के डेमो के तहत स्ट्रेचर तैयार किए जाने एवं रस्सी की गाँठों के तरीके बताया। पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन्स हर्षवर्द्धनी सुमन ने वॉलन्टियर्स को उत्तराखण्ड पुलिस एप, गौरा शक्ति मॉड्यूल, डायल 112, साइबर अपराध हैल्पलाइन नम्बर 1930 के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्राधिकरण के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि रंजन, पुलिस उपाधीक्षक आपरेशन्स हर्षवर्द्धनी सुमन, उपनिरीक्षक दमयंती गरोड़िया व एसडीआरएफ के प्रशिक्षक समेत स्वयं सेवक उपस्थित थे।

पीएलवी वर्कर भी करेंगे आपदा प्रबंधन में मदद



राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन कार्यरत स्वयंसेवकों को एसडीआरएफ ने आपदा प्रबंधन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षुओं ने डेमो, स्ट्रेचर तैयार किए जाने के तरीकों के साथ ही राहत एवं बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 45 स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग किया। पुलिस लाइन रुद्रा में आयोजित प्रशिक्षण में एसडीआरएफ के जवानों ने आपदा के समय की जाने वाली राहत एवं बचाव कार्य के दृष्टिगत व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। एसडीआरएफ के प्रशिक्षुओं ने इस दौरान आपदा के डेमो के तहत स्ट्रेचर तैयार किए जाने एवं रस्सी की गाँठों के तरीके बताया। पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन्स हर्षवर्द्धनी सुमन ने वॉलन्टियर्स को उत्तराखण्ड पुलिस एप, गौरा शक्ति मॉड्यूल, डायल 112, साइबर अपराध हैल्पलाइन नम्बर 1930 के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्राधिकरण के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि रंजन, पुलिस उपाधीक्षक आपरेशन्स हर्षवर्द्धनी सुमन, उपनिरीक्षक दमयंती गरोड़िया व एसडीआरएफ के प्रशिक्षक समेत स्वयं सेवक उपस्थित थे।

एड्स के प्रति लोगों को किया जागरूक

सबादपाटा, टनकपुर

अमृत विचार : विश्व एड्स दिवस पर विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर टनकपुर के रावत राधे हरि राजकीय इंटर कॉलेज व सरन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने नगर में जागरूकता रैली निकाली।



टनकपुर में जागरूकता रैली निकालती छात्रएं। अमृत विचार

रैली में दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राओं के अलावा एड्स कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. कुलदीप यादव एवं स्यास्थ

विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी अजय गुरुरानी, इजहार अली व सोनी आदि मौजूद रहे।

बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

अल्मोड़ा (दैनिक हाक): उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशन एवं जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा कौशल किशोर शुक्ला के मार्गदर्शन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा शशि शर्मा की अध्यक्षता में अटल उल्कष्ट राजकीय इंटर कॉलेज लमगडा में वृहद् बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का

आयोजन किया गया जिसके तहत यहां उपस्थित व्यक्तियों को बाल अधिकारों, नालसा की सभी योजनाओं, लैंगिक न्याय, ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों, लैंगिक समानता, पूर्ण और समान प्रतिनिधित्व और सभी महिलाओं व बालिकाओं का सशक्तिकरण, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के अधिकारों आदि विषयों पर जागरूक किया गया। जिला प्रशासन के

अंतर्गत सभी विभागों द्वारा स्टाल लगाए गये एवं अपने विभाग में संबंधित जानकारी प्रदान की गयी व शिविर में निशुल्क शिकित्सीय परीक्षण भी किया गया तथा स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गये। शिविर में एस. डी. एम लमगडा, अन्य अधिकारी आदि भी उपस्थित थे व इस शिविर में लगभग 1500 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

विवेकानंद बालिका विद्या मन्दिर जीवनधाम में श्रुति शर्मा ने बालिकाओं को दी कानून की जानकारी

विवेकानंद बालिका विद्या मन्दिर जीवनधाम में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसके तहत यहां उपस्थित छात्राओं को बताया गया कि हर साल 9 नवंबर को भारत राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। जो समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधिनियम को बर्णगंगा का प्रतीक है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा हेल्पलाइन नंबर साइबर अपराध, नालसा की सभी योजनाएं, महिलाओं व बच्चों के अधिकारों, पक्षस्रो अधिनियम, बाल विवाह, बाल मजदूरी आदि विषयों से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन भावना मल्होत्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सता त्रिपाठी, दीपिका पाण्डेय, भावना रावत, यशपाल भट्ट, देवशीर्ष भंडारी, कुशल चौहान, दीप चंद्र कोडण्डाल व पीए लीगल कोर्सेल्टर विनोता आर्य व नीमा विनवाल उपस्थित रहीं।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा हेल्पलाइन नंबर साइबर अपराध, नालसा की सभी योजनाएं, महिलाओं व बच्चों के अधिकारों, पक्षस्रो अधिनियम, बाल विवाह, बाल मजदूरी आदि विषयों से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन भावना मल्होत्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सता त्रिपाठी, दीपिका पाण्डेय, भावना रावत, यशपाल भट्ट, देवशीर्ष भंडारी, कुशल चौहान, दीप चंद्र कोडण्डाल व पीए लीगल कोर्सेल्टर विनोता आर्य व नीमा विनवाल उपस्थित रहीं।

सोशल मीडिया का प्रयोग सावधानी से करें

सबाद न्यूज एजेंसी

कनौलीछोना (पिथौरागढ़)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शीन वैली पब्लिक स्कूल कनौलीछोना में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इसमें विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी दी गई। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विभा यादव ने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने, अपने विरुद्ध हो रहे किसी भी अपराध या गलत कृत्य सहन नहीं करने और उसको शिकायत अपने परिजन व गुरुजनों से करने को कहा। इस दौरान विद्यार्थियों को फौंसो



कनौलीछोना शीन वैली पब्लिक स्कूल में छात्र-छात्राओं को जागरूक करती जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव। शीन न्यायालय

अधिनियम, गुड टच-बैड टच, बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल अधिकार की भी जानकारी दी गई। विद्यार्थियों से सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का प्रयोग सावधानी पूर्वक करने, अपनी लोकेशन शेयर न करने को अपील की।

साक्षरता शिविर में छात्रों व ग्रामीणों को दी कानूनी जानकारी

जनपद प्रतिनिधि रुद्रप्रयाग : सचिव/सिविल जज (सी.डि.) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग रवि रंजन की अध्यक्षता में साक्षरता की राजकीय इंटर कॉलेज चम्पुकेवर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग, कुपि, पशुपालन, वन विभाग, समाज कल्याण एवं बाल विकास आदि विभागों द्वारा अपने-अपने स्टील लगाए गए। इस दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। सचिव/सिविल जज (सी.डि.) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग रवि रंजन द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को विभिन्न कानूनी जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के अधीन रूप से अधम एवं



अज्ञातप्रयत्न लोगों को निशुल्क विधिक सेवा प्रदान करना है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कानूनी प्रश्नों जैसे पीसीपीएनटी अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, दहेज प्रतिबंध अधिनियम, परेनु

ग्रामीणों को दी कानूनों की जानकारी

भतरौजखान (अल्मोड़ा), एजेंसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से क्षेत्र के टानी गांव में न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श त्रिपाठी की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर लगाया। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों को मानव तस्करी, बाल अधिकार, महिला अधिकार, साइबर अपराध, भ्रूण हत्या, एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। यहां ग्राम प्रधान चंद्रेश रावत, पीएलवी हेमा पांडे सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

एचआईवी और एड्स में अंतर बताया

आयोजन

- नागरिक अस्पताल में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित गोपची
- एड्स के फैलाव, रोकथाम और बचाव के बारे में जानकारी दी

संवाददाता, खटीमा

अमृत विचार: नागरिक अस्पताल में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित गोपची की अध्यक्षता कर डॉ. वीपी सिंह ने एड्स कैसे फैलता है तथा उसकी रोकथाम और बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं डॉ. केसी ठाकुर ने एड्स से बचाव के सुझाव दिए।

पैनल अधिवक्ता स्नेहा प्रभा और चंचल सिंह ने कानूनी जानकारी दी। इस अवसर पर पीएलवी लाल सिंह, बलवंत सिंह राणा, विमल कुमार, उम्रू देवी, भगवती राणा, माया देवी, पिंकी राणा, मीरा देवी आदि उपस्थित थे। संचालन विमल कुमार ने किया। थारू राजकीय इंटर कॉलेज में एड्स दिवस पर गोपची का आयोजन किया गया। जिसमें प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार कटियार और एनसीसी ऑफिसर नरेंद्र रौतेला, अधिवक्ता शाहाना बेगम ने एड्स और मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बच्चों को बताया। विमल कुमार ने एचआईवी और एड्स में अंतर बताया। इस अवसर पर कमला गोस्वामी,



खटीमा के इंटर कॉलेज में बच्चों को संबोधित करते एनसीसी ऑफिसर रौतेला।

एचएनबीपीजी कॉलेज को मिला बी-ग्रेड

खटीमा। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को नेशनल एडिसमेंट एंड एकोर्डिनेशन कॉन्सिल (नॉक) मूल्यांकन के बाद बी-ग्रेडिंग मिली है। कॉन्सिल की तीन सदस्यीय टीम ने महाविद्यालय के सभी विभागों के साथ एक्टिविटी का दो दिनों तक मूल्यांकन किया था, 15 और 16 नवंबर को नॉक पीर टीम के काशी विद्यापीठ वाराणसी के अध्यक्ष डॉ. केके अग्रवाल, क्लस्टर विश्वविद्यालय श्रीनगर जम्मू कश्मीर के डॉ. मुस्ताक अहमद लोन और महाराष्ट्र द्वारा महाविद्यालय के सदस्य डॉ. लाल सिंह खालसा ने महाविद्यालय में पहुंचकर दो दिनों तक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय के पुस्तकालय, कार्यालय, सभी विभाग, प्रयोगशाला, खेल, रोवर्स रेजर्स, एनएसएस, आइक्यूएसी आदि का विधिवत निरीक्षण किया। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। निरीक्षण के उपरांत टीम की रिपोर्ट के आधार पर नॉक टीम मुख्यालय बेंगलुरु ने महाविद्यालय को 2.28 सी-ग्रेडिंग के साथ 5 वर्षों के लिए बी ग्रेड प्रदान की है। विद्यालय को मिली इस उपलब्धि पर डॉ. अशुतोष कुमार ने कहा कि इसमें महाविद्यालय के डॉ. हरे सिंह, डॉ. केके मिश्रा, डॉ. मनीष बेलवाल, डॉ. धीरज महतोड़ी, डॉ. र. डॉ. वीएस पांडे, डॉ. प्रमोद कुमार, डॉ. डीके चंदोला, डॉ. गुरिंदर, डॉ. आदि समस्त कर्मचारियों का सहयोग रहा।

प्रभु दयाल उपस्थित थे। एचआईवी, कैसे फैलता है एड्स को लेकर एड्स दिवस पर आचार्य नरेन्द्र देव स्कूल में डॉ. प्रदीप पांडेय, डॉ. शैलजा ने एड्स और एड्स में अंतर बताया। इस अवसर पर कमला गोस्वामी, एचआईवी, कैसे फैलता है एड्स को लेकर फहमी उसके लिए किया। प्रधानाचार्य न उपस्थित रहे।

विश्व मानसिक दिवस पर

जागरूकता शिविर का आयोजन

खटीमा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के सचिव के आदेश के क्रम में मंगलवार को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में विश्व



मानसिक दिवस के अवसर पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुषमा नेगी तथा संचालन विमल कुमार ने किया। शिविर में उपस्थित लोगों को अधिवक्ता शाहाना बेगम, अधिवक्ता चंचल ने अधिकारों के बारे में तथा कानूनी जानकारी दिया। वहीं डाक्टर नेगी ने लगातार बढ़ रही डेंगू की बीमारी से बचाव, रोकथाम, रहन-सहन व खान-पान के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। साथ ही उन्होंने तेज बुखार आने पर अस्पताल जाने तथा फास्ट फूड से बच्चों को दूर रहने का सलाह दिया। इस अवसर पर पीएलवी मंजू बिष्ट, भगवती राना, गीता शर्मा, कमला गोस्वामी, आरबी सिंह, पिंकी राना, आशा रानी, सुमित्रा राना, तथा प्रीती राना आदि उपस्थित रहे।

कोर्ट परिसर में धूमधाम के साथ मनाई गांधी जयंती



(संवाददाता प्राईम काशीपुर)

बाजपुर। कोर्ट परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। बेरिया रोड स्थित कोर्ट परिसर में आज 2 अक्टूबर को अवसर पर सिविल जज सांची अग्रवाल व उपनिताधिकारी राकेश चंद्र तिवारी को नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर डिप्टी नजीर ओम चौहान पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद, जीवन जोशी, गीता जोशी पेशकार मनोज कुमार वर्मा, लिपिक विजय कुमार पांडे, एडवोकेट महिपाल सिंह आदि मौजूद रहे।

सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा शिविर

मुफ्त जांच तथा मुफ्त दवाइयों के बारे में दी जानकारी

न्यूज प्रिंट संवाददाता

सितारगंज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य के लिए शिविर लगाकर जानकारी दी गई और विस्तार से गरीबों को मुफ्त होने वाला इलाज को शिविर के माध्यम से बताया गया। जिसमें हर गरीब परिवार को सही इलाज समय पर मिल सके और जिले से आए हुए डॉक्टरों की टीम के माध्यम से और गर्भवती महिलाओं के लिए भी जानकारी दी गई। बताया गया कि सही समय पर उनका इलाज होना बहुत ही आवश्यक है और कहा गया कि इसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं होना चाहिए और आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपना टीकाकरण और जांच जरूर करवा ले और कहा कि आने वाली बीमारियों से हमें लड़ना है जिससे कि हम मौत को भाग सके हम स्वस्थ रहेंगे हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और आसपास की सफाई होना आवश्यक है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपालन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में



चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में पैनल अधिवक्ता मनोरमा गुप्ता व प्राविधिक कार्यकर्ता मंगल सिंह, मनोज कुमार, मंजू रानी द्वारा वरिष्ठ नागरिक के अधिकार व उनके प्रति सम्मान व उनके चिकित्सा के अधिकार के बारे में जागरूकता कार्यक्रम किया गया तथा वरिष्ठ नागरिकों को क्या-क्या सरकारी सुविधाएं प्रदान की गई है उनके बारे में जानकारी दी गई। तथा मुफ्त में जांच की व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया।

खबर 5 न्यूज एंड मीडिया

उतरखंड

अलेक्सा पब्लिक स्कूल में जिला जज द्वारा बच्चों को दी कानून की जानकारी



(रिपोर्ट आसिफ खान) सीनियर डिवीजन जज सचिन कुमार पाठक जी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर ने आज अलेक्सा पब्लिक स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज सजना में बच्चों को बाल अधिकार पास को एक्ट वाटर मानव तस्कारी बाल श्रम विषय पर कानूनी जानकारी दी एवं ज्योति ट्रस्ट द्वारा आयोजित टेढ़ा घाट में कैंप में भाग लिया

और लोगों की समस्याओं को सुना और उनमें से कुछ समस्याओं के लिए तुरंत कार्रवाई की गई इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष सचिव, चैनल अधिकता चंचल सिंह शाहाना बेगम नायब तहसीलदार नरेंद्र गैहलोटी पी. एल.वी.विमल कुमार विमल कुमार लाल सिंह कमला गोस्वामी मीरा देवी आरबी सिंह समित देवी पिंकी देवी गीता शर्मा आदि उपस्थित थे

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन

खटीमा। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर थारू राजकीय इंटर कॉलेज में

प्रभा और चंचल सिंह ने कानूनी जानकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी। वहीं थारू राजकीय इंटर कॉलेज में एनसीसी के अधिकारी नरेंद्र



प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार कटियार की अध्यक्षता में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं डॉक्टर वीपी सिंह की अध्यक्षता में नागरिक चिकित्सालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी विमल कुमार ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर वीपी सिंह तथा डॉक्टर केरती पंत द्वारा एड्स की रोकथाम व बचाव के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। पैनल अधिवक्ता स्नेहा

प्रभा और चंचल सिंह ने कानूनी जानकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी। वहीं थारू राजकीय इंटर कॉलेज में एनसीसी के अधिकारी नरेंद्र प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार कटियार की अध्यक्षता में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं डॉक्टर वीपी सिंह की अध्यक्षता में नागरिक चिकित्सालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी विमल कुमार ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर वीपी सिंह तथा डॉक्टर केरती पंत द्वारा एड्स की रोकथाम व बचाव के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। पैनल अधिवक्ता स्नेहा

सफलता की कहानी

राजी जनजाति की महिलाओं को ऐपण प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़ द्वारा राजी जनजाति के उत्थान एवं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक 06-09-2023 को स्थान जौलजीबी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में राजी जनजाति की महिलाओं द्वारा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की रुचि जाहिर की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़ द्वारा ऐपण प्रशिक्षिका के माध्यम से **ऐपण कला** सिखाये जाने हेतु महिलाओं को आश्वासन प्रदान किया गया।

ऐपण प्रशिक्षिका **प्रियंका कपूर** के माध्यम से राजी जनजाति की महिलाओं को 10 दिनों का ऐपण प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिस पर महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के **मिट्टी के दिये, घड़े, थालियां, कपड़े पर आकृत, लोटे आदि पर ऐपण कला आकृति** सीखी गयी।

प्रशिक्षण प्राप्त होने के पश्चात महिलाओं द्वारा अपनी जाति की अन्य महिलाओं को भी इस प्रशिक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु आश्वासन दिया एवं भविष्य में इस प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त कर अपनी आजीविका एवं स्वरोजगार हेतु इसका उपयोग किये जाने हेतु कहा गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़ की इस पहल का राजी जनजाति की महिलाओं द्वारा आभार व्यक्त कर भविष्य में भी इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अपनी रुचि बताई गयी।

(विभागाध्यक्ष),
सीनियर सिविल/जज/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
पिथौरागढ़।



सफलता की कहानी

जेल समीक्षा दिवस के अवसर पर न्यायिक बन्दीगृह पिथौरागढ़ में कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत कैदियों को गत्ते से बने खिलौने, आटे के दिये, ऊन से बनी थैलियों, मफलर, अखबार से बने लिफाफे, दफती एवम् रस्सी से बने बद्दीकेदार की विशाल प्रतिमा बनाई गई।

कैदियों द्वारा बनाए गए सामग्रियों को आगामी शरदोत्सव मेले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉल द्वारा विक्रय किया जायेगा, इस प्रशिक्षण को अक्टूबर माह में प्रारम्भ किया गया था एवम् समस्त सामग्रियों महीने के अन्त तक बनाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित कर दी गई। कैदियों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की तस्वीरें एवम् विडियो मान्नीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अवलोकनार्थ एवम् इस महीने की सफलता की कहानी के रूप में प्रेषित किया जा रहा है।

(विभा प्रोद्भव)

सीनियर सिविल जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़

STATUS OF FULL TIME SECRETARIES/TLSC/PLVS/PANEL LAWYERS/RETAINER LAWYERS/MEDIATORS/LEGAL AID CLINICS/FRONT OFFICE/MEDIATION CENTERS

As on 31.12.2023

NAME OF DLSA	No. of Full Time Secretary	No. of TLSCs Con-stituted	No. of Panel Lawyers	No. of Retainer Lawyers	No. of trained PLVs	No. of Legal Aid Clinics	No. of Front Offices	No. Medi-ation Centers	No. of Mediators
ALMORA	01	03	12	01	40	34	01	01	04
BAGESHWAR	01	01	06	01	45	19	01	01	03
CHAMOLI	01	05	08	01	69	33	01	01	01
CHAMPAWAT	01	01	10	01	60	17	01	01	03
DEHRADUN	01	04	51	01	71	62	01	02	25
HARIDWAR	01	02	34	01	52	34	01	03	22
NAINITAL	01	02	39	01	36	08	01	03	14
PAURI GARHWAL	01	04	25	01	69	25	01	02	05
PITHORAGARH	01	04	11	01	21	04	01	01	04
RUDRAPRAYAG	01	01	06	01	89	42	01	01	01
TEHRI GARHWAL	01	02	26	01	46	21	01	01	03
U. S. NAGAR	01	05	51	01	81	24	01	03	11
UTTARKASHI	01	02	17	01	60	19	01	01	08
HCLSC	01	-	24	01	-	-	01	01	09
TOTAL	14	36	320	14	739	342	14	21	113

CONSOLIDATED STATISTICAL INFORMATION OF THE LOK ADALAT/LEGAL AID PROGRAMMES ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FROM

(OCTOBER-2023 TO DECEMBER-2023)

S.N.	Name of District	Total No. of Lok Adalats Held	Total No. of Cases Taken up	Total No. of Cases Disposed off	Compensation/Settlement Amount	Realized as Fine (in Rs.)	Total No. of Persons Benefited in Lok Adalats	No. of Camps/Sensitization Programmes Organized	Total No. of Persons Benefited in Camps	No. of Persons Benefited Through Legal Aid & Advice	
										Legal Aid	Advice/Other Services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	ALMORA	01	122	107	1,19,37,800	-	107	440	34870	12	808
2	BAGESHWAR	03	245	108	71,73,072	38,000	108	350	19423	11	507
3	CHAMOLI	04	146	83	1,65,94,998	3,23,250	83	782	29099	06	36
4	CHAMPAWAT	04	164	59	40,49,550	86,600	59	395	16064	18	-
5	DEHRADUN	04	8781	4560	17,95,71,233	7,06,450	4560	505	32760	299	1581
6	HARIDWAR	01	2117	2020	3,10,84,390	-	2020	125	12202	256	-
7	NAINITAL	04	2387	1285	5,64,58,446	7,74,650	1285	205	14726	136	34
8	PAURI GARHWAL	04	863	846	1,21,79,331	2,96,150	846	185	17318	21	1582
9	PITHORAGARH	02	333	271	96,23,933	17,700	271	190	2,12,478	23	01
10	RUDRAPARYAG	03	325	110	43,53,092	-	110	35	3631	39	01
11	TEHRI GARHWAL	03	494	428	2,22,85,880	-	428	307	13573	25	04
12	U. S. NAGAR	03	3088	2084	15,38,03,580	-	2084	526	38708	164	42
13	UTTARKASHI	01	128	124	68,29,848	-	124	126	6995	15	-
14	HCLSC, NTL	02	579	97	2,91,50,359	-	97	-	-	145	-
15	UKLSA, NTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
	TOTAL: -	39	19772	12182	54,50,95,512	22,42,800	12182	4171	451847	1170	4628
16	CONSUMER COURTS	01	32	02	1,10,000	-	02	-	-	-	-
17	DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN	01	34	29	40,57,00,000	-	29	-	-	-	-
	TOTAL: -	02	66	31	40,58,10,000	-	31	-	-	-	-
	GRAND TOTAL: -	41	19838	12213	95,09,05,512	22,42,800	12213	4171	451847	1170	4628

PROGRAMMES/ACTIVITIES INSIDE JAIL CAMPUS DURING

(OCTOBER-2023 TO DECEMBER-2023)

S.N.	Name of District	Lok Adalats organized in jails		Legal Literacy Camps organized in jails		Legal Aid provided to under trial prisoners	Jail visit
		No. of organize Lok Adalats	No. of cases disposed off	Camps organized	Benefitted persons	Number of Benefitted under trial prisoners	Total Number of Jail visit
1	ALMORA	-	-	11	2021	05	04
2	BAGESHWAR	-	-	03	216	05	03
3	CHAMOLI	-	-	02	299	04	06
4	CHAMPAWAT	-	-	04	140	09	03
5	DEHRADUN	03	75	-	-	222	21
6	HARIDWAR	02	68	06	3600	220	-
7	NAINITAL	02	31	07	1287	100	02
8	PAURI GARHWAL	-	-	11	1615	13	10
9	PITHORAGARH	-	-	41	2360	08	01
10	RUDRAPRAYAG	-	-	11	310	05	-
11	TEHRI GARHWAL	-	-	06	1105	14	-
12	U.S. NAGAR	03	44	06	765	117	07
13	UTTARKASHI	-	-	10	708	08	-
14	H.C.L.S.C. NTL	-	-	-	-	53	-
	TOTAL :-	10	218	118	14426	783	57

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF PERMANENT LOK ADALATS
(Established U/S 22B of Legal Services Authority Act)

(OCTOBER-2023 TO DECEMBER-2023)

- (i) No. of PLAs existing :- 07 (Almora, Dehradun, Haridwar, Nainital, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal and U. S. Nagar)
(ii) Total No. of PLAs functioning:- 04 (Dehradun, Haridwar, Nainital and U.S. Nagar)

S.N.	Permanent Lok Adalats	Number of Sitzings	No. of cases pending as on 30.06.2023	No. of cases received during the Period	No. of cases settled during the Period	Total Value/Amount of Settlement (₹)	No. of cases pending as on 30.09.2023
1	Dehradun	36	265	37	23	66,87,184	279
2	Haridwar	25	84	16	03	-	97
3	Nainital	43	162	23	39	42,13,608	146
4	Udham Singh Nagar	31	25	10	13	32,44,069	22
	Total	135	536	86	78	1,41,44,861	544

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF CASES SETTLED THROUGH MEDIATION

(OCTOBER-2023 TO DECEMBER-2023)

- (A) Total Number of ADR Centers : **04**
(B) Total No of Existing Mediation Centers other than ADR Centers : **18**
(C) Number of Mediators (Total of both in ADR Centers and Mediation Centers) : **112**

DISPOSAL

S.N.	DESCRIPTION	TOTAL
A	No. of cases received during the month	147
B	Cases settled through Mediation	182
C	Cases returned as not settled	31
D	Non-starter cases which were returned as mediation could not commenced	134
E	No. of Connected cases	04
F	No. of Cases pending at the end of the month	10

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF VICTIM COMPENSATION SCHEME U/S 357A Cr. P. C.

(OCTOBER-2023 TO DECEMBER-2023)

No. of applications received directly by Legal Services Institutions (A)	No. of applications/orders marked/directed by any Court (B)	Total No. of applications received including Court orders (A+B)	No. of applications decided	No. of applications pending	Total Compensation Amount (₹)
39	12	51	46	230	32,30,000



CONTACT US

S.No.	ADDRESS	DESIGNATION	CONTACT NUMBER
01	Uttarakhand State Legal Services Authority, High Court Compound, Nainital	Member Secretary, Officer on Special Duty	Office: 05942-236762, Telefax: 236552
02	High Court Legal Services Committee, High Court Compound, Nainital	Secretary	Office: 05942-232085, Telefax: 237721
03	District Legal Services Authority, Almora	Shri Shrikant Pandey, Chairman Ms. Shachi Sharma, Secretary	Office: 05962-231105, Mobile: 9459596757
04	District Legal Services Authority, Bageshwar	Shri Narendra Dutt, Chairman Shri Jayendra Singh, Secretary	Office: 05963-221844 Mobile: 9412097865
05	District Legal Services Authority, Chamoli	Shri Dharam Singh, Chairman Ms. Simranjit Kaur, Secretary	Office: 01372-251529 Mobile: 9412079328
06	District Legal Services Authority, Champawat	Ms. Kahkasha Khan, Chairman Ms. Shivani Pasbola, Secretary	Office: 05965-230915 Mobile: 9411327127
07	District Legal Services Authority, Dehradun	Shri Pradeep Pant, Chairman Shri Harsh Yadav, Secretary	Office: 0135-2520873 Mobile: 9458346961
08	District Legal Services Authority, Haridwar	Shri S. K. Tyagi, Chairman Shri Abhay Singh, Secretary	Office: 01334-239780 Mobile: 9412071710
09	District Legal Services Authority, Nainital	Shri Subir Kumar, Chairman Ms. Beenu Gulyani, Secretary	Office: 05942-237159 Mobile: 9411102137
10	District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	Shri Ajay Chaudhary, Chairman Shri Akram Ali, Secretary	Office: 01368-221815 Mobile: 9412079408
11	District Legal Services Authority, Pithoragarh	Shri Shanker Raj, Chairman Ms. Vibha Yadav, Secretary	Office: 05964-228322 Mobile: 9411330501
12	District Legal Services Authority, Rudraprayag	Shri S.M.D. Danish, Chairman Shri. Ravi Ranjan, Secretary	Office: 01364-233796 Mobile: 9149109745
13	District Legal Services Authority, Tehri Garhwal	Shri Yogesh Kumar Gupta, Chairman Shri. Alok Ram Tripathi, Secretary	Office: 01376-233424 Mobile: 9411558363
14	District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar	Shri Prem Singh Khimal, Chairman Shri. Sachin Kumar Pathak, Secretary	Office: 05944-250682 Mobile: 9412088088
15	District Legal Services Authority, Uttarkashi	Shri Gurubaksh Singh, Chairman Ms. Shweta Rana, Secretary	Office: 01374-222711 Mobile: 9412078165

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552,

e-mail : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

website : www.slsa.uk.gov.in

Portal For Free Legal Aid: <https://uklegalaidservices.uk.gov.in>

Facebook Link: <https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa>

Facebook Page Link: <https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873>

Youtube Link: <https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ>

TOLL FREE NO. 18001804000, 15100